राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एक सिंहावलोकन

Ministry of Education
Government of India

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत

स्वामी विवेकानंद

स्वामी दयानंद सरस्वती

गोपाल कृष्ण गोखले

बाल गंगाधर तिलक

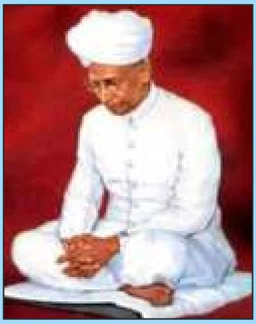
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

दीनदयाल उपाध्याय

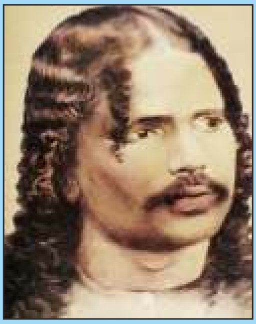
भारतेंदु हरिश्चंद्र

गोपबंधु दास

डॉ. भीमराव अंबेडकर

मदनमोहन मालवीय

महर्षि कर्वे

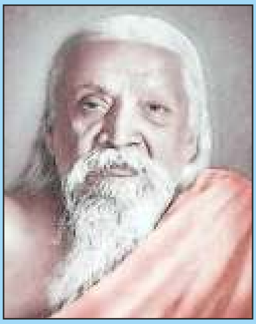
श्री अरबिंदो

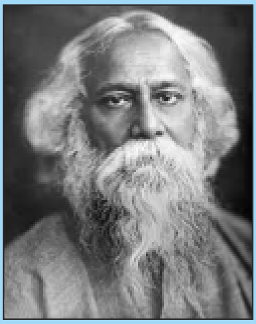
रबींद्रनाथ टैगोर

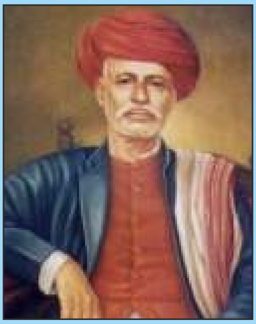
ज्योतिबा फुले

सावित्रीबाई फुले

विनोबा भावे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020
एक सिंहावलोकन

संपादक

डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर
अध्यक्ष : शिक्षा विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

डॉ. मनोज कुमार राय
अध्यक्ष : गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : 07152-230902 फैक्स : 07152.230903
ई-मेल : registrar.mgahv@gmail.com वेबसाइट : hindivishwa.org

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन

प्रकाशक : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा, (महाराष्ट्र) भारत
ई-मेल : pub.mgahv@gmail.com
फोन : 07152-232943
वेबसाइट : www.hindivishwa.org
ISBN : 978-93-90381-01-2

आवरण सज्जा : राजेश आगरकर

प्रथम संस्करण : 9 अगस्त, 2020

© संपादकों और लेखकों की ओर से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय
हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित

यह पुस्तक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय
हिंदी विश्वविद्यालय के स्वत्वाधिकार के अंतर्गत है
गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य से, अध्ययन व शोध के निमित्त,
इसका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था
मूल में परिवर्तन किए बिना इसका वितरण करने के लिए स्वतंत्र है।

Rashtriya Shiksha Niti 2020 : Ek Sinhawalokan
Edited by
Dr. Manoj Kumar Rai & Dr. Gopal Krishna Thakur

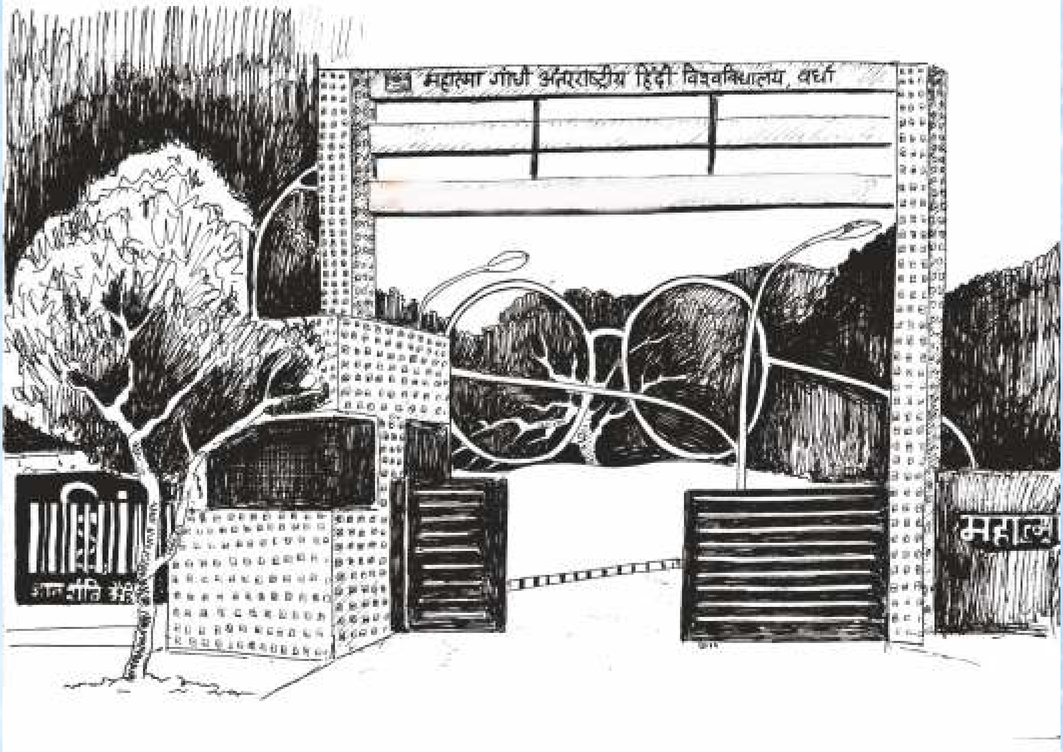
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रम) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
एक सिंहावलोकन

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक
शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

देश को भारत-केंद्रित एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति प्रदान करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के प्रति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
हार्दिक आभारी है।

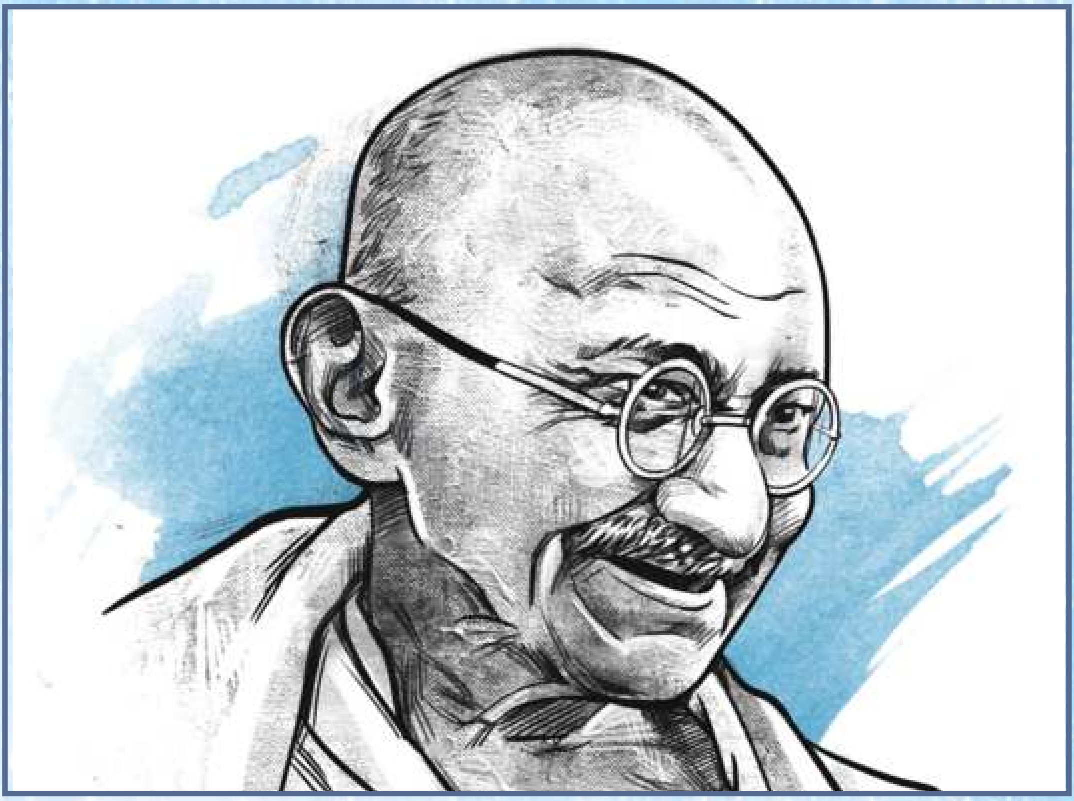

अनुक्रमणिका

उच्चतर शिक्षा एवं अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे

क्रमांक	आलेख शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	01
2	नई शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	03
3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020-सम्यक् दृष्टि एवं सत्संकल्प का संश्लेष	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	06
4	विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन	प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट	08
5	नई शिक्षा नीति और प्रौढ़ शिक्षा	प्रो. मनोज कुमार	11
6	भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	13
7	नई शिक्षा नीति 2020 : गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विश्वास	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	15
8	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	20
9	शिक्षा को प्रौद्योगिकी का समर्थन : सशक्त भारत का निर्माण	डॉ. शिरीष पाल सिंह	23
10	जयतु वचन रचना अति नागर	डॉ. मनोज कुमार राय	26
11	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : लालयेत् पंचवर्षाणि	डॉ. भरत कुमार पंडा	28
12	उपस्थिति नहीं उपलब्धि होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कसौटी	डॉ. ऋषभ कुमार मिश्र	31
13	शिक्षा की सार्वभौमिकता : ड्रॉपआउट 'एक अवरोध'	श्रीमती सारिका राय शर्मा	33
14	विद्यालयी शिक्षा : पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र संबंधी आयाम	श्री समरजीत यादव	35
15	स्कूल शिक्षा : शिक्षक गुणवत्ता संवर्धन	डा. आर. पुष्पा नामदेव	38
16	सभी के लिए अधिगम हेतु समतामूलक और समावेशी शिक्षा	श्री धर्मेन्द्र नारायणराव शंभरकर	41
17	स्कूल कॉम्प्लेक्स/ क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस	डॉ. शिल्पी कुमारी	43
18	मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन : नीति निर्णय एवं शैक्षिक अभ्यास की संगतता	डॉ. सुहासिनी बाजपेयी	47

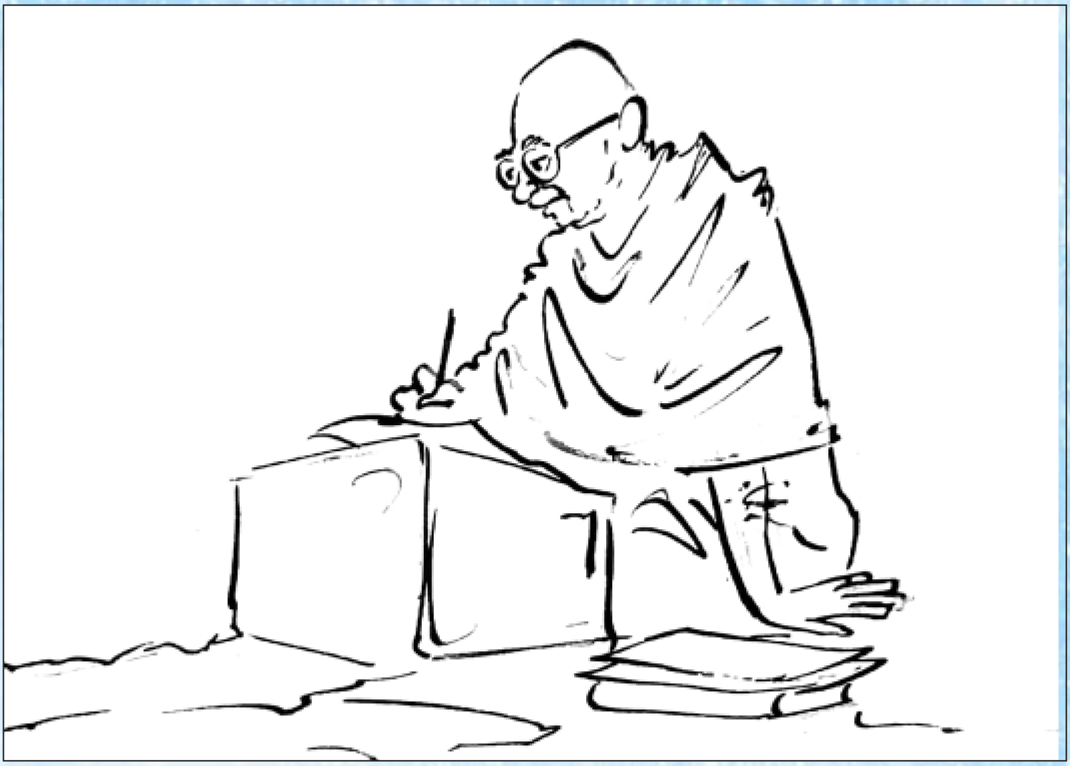

प्राक्कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 औपनिवेशिक मानसिकता को दूर कर स्वाभिमान और आत्मनिर्भर समाज की निर्मिति का सूत्रपात है। भारत के समेकित विकास को अभीष्ट मानते हुए इस नीति के मूल में परिवर्तनशील भारतीय समाज के लिये शाश्वत मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना को साकार करने का संकल्प निहित है। दशकों से चली आई शिक्षा व्यवस्था की संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन का दृढ़-संकल्प लिए इस शिक्षा नीति का उद्देश्य श्रेष्ठ मनुष्य को निर्मित करना है, ऐसा मनुष्य जो तर्कसंगत विचार वाला हो और कार्य करने की अपेक्षित क्षमता, दक्षता व कौशल से संपन्न हो, जिसमें मानवोचित संवेदना, करुणा, सहानुभूति, साहस व आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना हो, जिसमें लचीलापन वैज्ञानिक अभिवृत्ति और सृजनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्य आदि गुणों का प्रकटीकरण हो। इस नीति का उद्देश्य जैविक प्राणी से सांस्कृतिक प्राणी में रूपांतरित ऐसे मनुष्य का निर्माण है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके एवं संविधान द्वारा स्वी त न्याय,स्वतन्त्रता,समता और बंधुता के मूल्यों पर आधारित समावेशी और बहुलतावादी समाज की निर्मिति में श्रेष्ठ तरीके से अपना योगदान प्रस्तुत करते हुए भारत को विश्व-गुरु बनाने के स्वप्न को साकार कर सके।

इस शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन की दशा-दिशा एवं संभावित रोडमैप को दृष्टिगत करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के संकाय सदस्यों ने इस पुस्तक में संकलित अपने आलेखों के माध्यम से शिक्षा नीति में समाहित भाषा एवं लोक संस्कृति संबंधी नीति, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विनियमन एवं प्रत्यायन सहित शिक्षा नीति के विभिन्न अवयवों की प्रासंगिकता, सार्थकता एवं इस नीति पर आधारित सकारात्मक फलदायी कार्ययोजना के प्रति अपनी दृष्टि को प्रस्तुत किया है।

अति सीमित समय में इस शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर गहन विमर्श करते हुए सुविचारित सम्मति देने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के संकाय सदस्य साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अपने विचारों को संकलित करने का प्रयत्न किया है एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सापेक्ष विश्वविद्यालय परिवार की दृष्टि स्पष्ट करने का यत्न किया है।

इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए मैं इस कालखण्ड के शिक्षक समाज की ओर से भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षामंत्री एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रचना से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारत एवं भारतीयों के लिए प्रस्तुत राष्ट्रीय नीति से व्यक्ति समाज और राष्ट्र के योगक्षेम एवं कल्याण का पथ प्रकाशित होगा।

स्वागत और क्रियान्वयन के लिए तत्पर है भारत का राष्ट्रीय परिवार।

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल
कुलपति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

नई शिक्षा नीति 2020 : एक सिंहावलोकन

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल

नई शिक्षा नीति नए भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का पथ प्रदर्शित करने वाली है। मनुष्य समाज एवं संस्कृति केंद्रित ऐसी शिक्षा का विधान करने वाली है जिसमें विज्ञान-तकनीक का समावेशन इस प्रकार से होगा कि आधुनिकता और प्राचीनता का द्वंद्व, जो भारत की शिक्षा का अपरिहार्य परिणाम रहा है, उससे मुक्ति दिलाएगी। औपनिवेशिक मानसिकता को दूर कर स्वाभिमान और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण का आधार बनेगी। परिवर्तनशील समाज के लिए शाश्वत मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना को साकार करने वाले इस नीतिगत दस्तावेज में भविष्योंमुखी राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के सूत्र, विधि और व्यवस्था का अद्‌भुत योग है।

नई शिक्षा नीति सभी विद्यार्थियों को, वर्ग, पंथ, जाति और भौगोलिक दूरी को समाप्त करते हुए, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यह हाशिये में रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को पूरा करेगी। शिक्षा साम्यता सुनिश्चित करने का माध्यम बनेगी।

नई शिक्षा नीति भारतीय समाज में समानता, समावेशन और आर्थिक व सामाजिक रूप से गतिशीलता की प्राप्ति के यत्न पर स्थापित है। सभी विद्यार्थी परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद शिक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकें और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, इसकी कोशिश और योजना स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है।

इस शिक्षा नीति का उद्देश्य श्रेष्ठ मनुष्य को निर्मित करना है, ऐसा मनुष्य जो तर्कसंगत विचार वाला हो और कार्य करने की क्षमता से संपन्न हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति तथा साहस हो। जिसमें लचीलापन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति व सृजनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्य आदि गुणों का प्रकटीकरण हो। इस नीति का उद्देश्य ऐसे मनुष्य का निर्माण है जो संविधान के द्वारा निर्धारित समावेशी और बहुलतावादी समाज की निर्मिति में श्रेष्ठ मार्ग से अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें।

नई शिक्षा नीति 2020 अत्यंत विशिष्ट है। इसमें शिक्षा का लक्ष्य भारत का समग्र विकास रखा गया है। शिक्षा नहीं बदलेगी तो विकास नहीं होगा। इसके पूर्व 1986 में एक शिक्षा नीति आयी थी। सन् 1986 में जो शिक्षा नीति थी, वह शिक्षा नीति ही थी इसमे मुझे कुछ संशय है। यदि 1986 की नीति, शिक्षा नीति थी तो उस नीति में सबसे बड़ा प्रश्न भारत के संदर्भ में कोठारी समिति की सिफारिश का मूल्यांकन होना चाहिए था। इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी कि सिफारिश किस सीमा तक लागू हुई है, बिना उसका मूल्यांकन किए 1975 में संविधान संशोधन के द्वारा धर्म निरपेक्षता की जो अवधारणा स्वीकार की गई उसके सतही मूल्यांकन के द्वारा भारत की सांस्कृतिक मूल्य परंपरा को दर किनार करके इस देश के लिए एक शिक्षा की नीति बनाई गई।

सर्वप्रथम शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण बदलने की प्राथमिकता पर हमें ध्यान देना होगा कि सूचनाओं का एकत्रीकरण और स्मृतियों में वृद्धि, शिक्षा नहीं है। अपितु ऐसे मनुष्य का निर्माण है जो आर्थिक रूप से उत्पादक, सामाजिक दृष्टि से गतिशील एवं व्यक्ति के रूप में गुणवान हो। जिसके संकेत इस नीति दस्तावेज में दिखाई दे रहे हैं।

पहली बार ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारत के विकास, भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारत के जन की समृद्धि को शिक्षा का लक्ष्य मानती है, वर्तमान काल को अभिलक्षित करती है और 21वीं शताब्दी के आने वाले वर्षों पर केंद्रित है। नई शिक्षा नीति 2020 को तीन पदों में समझा जा सकता है-

1. इस शिक्षा नीति की जड़े प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा में हैं ।
2. यह शिक्षा नीति वर्तमान के वास्तविक धरातल पर अवलंबित है।
3. यह शिक्षा नीति भविष्योन्मुखी है और 21वीं शताब्दी की चुनौती का मुकाबला करने वाली है।

इस तरह से नई शिक्षा नीति में निरंतरता है और पिछली व्यवस्थाओं को खारिज नहीं करती लेकिन पिछली व्यवस्थाओं का नवीकरण करती है। इस नई शिक्षा नीति का महत्व इसलिए है कि प्राथमिक शिक्षा से

लेकर अनुसंधान तक की शिक्षा के नैरन्तर्ययुक्त व्यापकता से परिपूर्ण है जिसमें शिक्षा के लिए जैविक मनोवैज्ञानिक तथ्य के साथ-साथ संज्ञानात्मक विज्ञान के तथ्यों का भी समावेश है। शिक्षा नीति में यह प्रतिपादित है कि 6 वर्ष के बजाय 3 वर्ष की आयु से ही शिक्षण और संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि 8 वर्ष पूरा होते होते बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। शिशु की क्षमता विकसित हो जाती है एवं इस विकसन की प्रक्रिया में जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वह स्थायी होते हैं। प्राथमिक शिक्षा इसको ध्यान में रखने का यत्न है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के प्रति एक उच्चतर दृष्टिकोण अपनाया गया है और यह प्रतिपादित किया गया है कि शिक्षा मात्र नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का तात्पर्य मनुष्य को उद्यमिता से भरना है, सृजनात्मक कल्पना से भरना है, आत्मबोध और आत्मगौरव से भरना है, मनुष्य को ऐसी क्षमता और कौशल से भरना है कि वह अपना जीवन तो बेहतर बनायेंगे ही, दूसरों के जीवन को चलाने और बेहतर बनाने के लिए योगदान भी कर सकें। इस तरह से पहली बार ऐसी शिक्षा नीति प्रस्तुत है जो देश की अस्मिता, आर्थिक दृष्टि और मनुष्य का विचार गहराई से करती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षा नीति में नीति, नियत और निष्ठा स्पष्ट रूप से भारत के लिए और भारत के अंतिम आदमी के लिए दिखाई देती है।

नई शिक्षा नीति में बहुत ही उत्तम रूप से आर्थिक विषमता का शिक्षा पर प्रभाव न हो, इसके निदान की व्यवस्था की गई है। यह एक ऐसा नीति दस्तावेज है जिसमें जीडीपी का 6 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस नीति में यह बार-बार ध्वनित किया गया है कि शिक्षा को केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना है, इसलिए यह सामाजिक प्रतिभाग को बढ़ाने पर केंद्रित है। सामाजिक प्रतिभागिता का तात्पर्य निजीकरण नहीं है। विषमताओं को केवल सरकार के भरोसे दूर नहीं किया जा सकता है, जो शिक्षा का भार उठा सकते हैं उनको इसका भुगतान करना चाहिए और जो भार नहीं उठा सकते हैं उनको शिक्षा हेतु समस्त सहयोग प्राप्त होना चाहिए। यह एक सामाजिक सहभाग का दृष्टिकोण हो सकता है जो इस नीति से द्योतित हो रहा है।

नई शिक्षा नीति अभी मात्र नीति निर्णय है, अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इस नीति को लागू करने का निश्चय हुआ है, इस नीति को लागू करने की तैयारी हेतु आगामी एक वर्ष में शिक्षा पर सरकार का निवेश किस तरह बढ़ाया जाए, शिक्षा में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की संभाव्यता किस प्रकार किया जा सकता है, शिक्षा को लेकर के समाज का जागरण कैसे हो आदि सभी विषयों पर नैदानिक कार्य किया जाना अपेक्षित है। सन् 1835 से अब तक अर्थात् पिछले 185 वर्षों में शिक्षा नीति में प्रतिपादित हुआ है कि सरकार ही सबकुछ करेगी अर्थात् सरकार के अतिरिक्त कोई कुछ नहीं करेगा। जिसका परिणाम हुआ कि शिक्षा से समाज का ध्यान भटक गया और इसको भी कानून व्यवस्था की तरह सरकार की जिम्मेदारी मान ली गई। 1835 के पहले शिक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी थी। दुनिया में भी वे सभी देश जो शैक्षिक दृष्टि से उन्नत देश हैं उनमें शिक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कोरोना त्रासदी के काल में सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह भारत की जनता ने दिखाया है। इस प्रकार भारत की जनता की क्षमता और दृष्टि दोनों स्पष्ट हो गई है। इस क्षमता और दृष्टि को और आगे बढ़ाने की योजना इस शिक्षा नीति में है। आर्थिक विषमताओं के होने के बावजूद भी भारत के समस्त विद्यार्थियों को उसकी योग्यता एवं उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ने और बनने का अवसर प्राप्त हो, यह अत्यंत संवेदनशील ढंग से नई शिक्षा नीति 2020 में देखा जा सकता है ।

कोरोना काल में सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति संपूर्ण समाज समझ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सहज है, यह सत्यापित हो गया है। पिछले 70-75 वर्षों में सभी तक स्कूली शिक्षा नहीं पहुंच पाई लेकिन प्रौद्योगिकी के द्वारा हम ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा अधिकांश समाज तक पहुंचा सके हैं। प्रौद्योगिकी से शिक्षण को यह न समझ लिया जाये कि यह सामान्य शिक्षा का कोई विकल्प है बल्कि शिक्षण व्यवस्था में यह 'सपोर्टिव मोड ऑफ एजुकेशन' मात्र है। यह सपोर्टिव मोड ऑफ एजुकेशन सीखने की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अवधारणा से परिपूर्ण किया गया है। कोरोना से पहले भी जीवनपर्यंत शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षण के विविध प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे लेकिन कोरोना काल में अधिकतम शैक्षिक समाज ने इसकी उपयोगिता का अनुभव किया। जीवनपर्यंत शिक्षा की अवधारणा से जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ पाता है, उस तक पहुंचने में सहजता होगी। ऑनलाइन शिक्षण से शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच

अन्तर्संवाद को अत्यधिक सहजता भी प्रदान की जा सकती है ।

भारत में शैक्षणिक व्यवस्था की असफलता का सबसे बड़ा कारण था कि हम विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र धारी बनाते थे न कि शिक्षित व्यक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है न कि प्रमाण-पत्र वितरण की व्यवस्था। इस उपाधि, प्रमाण की बद्धमूल अवधारणा को निर्मूलित करने वाली शिक्षा व्यवस्था का अनुपम प्रस्ताव है यह शिक्षा नीति।

नई शिक्षा नीति की मूल मान्यता है कि जीवनपर्यंत शिक्षा पद्धति का विस्तार करना होगा। अन्यथा हम दुनिया से विकास की दौड़, प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देना है। समावेशन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी जितने वैकल्पिक पर्याय है, उनको बढ़ाना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाकर शिक्षा को सर्वजन तक सुलभ करना सबसे आसान उपाय है जबकि प्रौद्योगिकी को दरकिनार कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना असंभव है। इसको स्वीकार करते हुए इसके बेहतर उपयोग का दृष्टिकोण भी इस नीति दस्तावेज का एक अनुपम वैशिष्ट्य है।

नई शिक्षा नीति में निहित शिक्षा व्यवस्था की मूल अवधारणा 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करना है। आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती भारत में बेरोजगारी है। रोजगार के लिए शिक्षा दृष्टि सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर पर आधारित है। सरकार और कार्पोरेट सेक्टर की परिधि से बाहर आकर के शिक्षा को स्वावलंबन और आत्म निर्भरता के लिए कार्यक्षम बनाने का प्रस्ताव भी दिखता है। ''उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान'' यह भारत की जनता की सांस्कृतिक प्रकृति है। किंतु जो निषिद्ध है वह श्रेष्ठ हो गया, ऐसा दृष्टि परिवर्तन होना ही बेरोजगारी का बड़ा कारण है। फलस्वरूप भारत देश में बेरोजगारी के दफ्तर में मेडिकल स्नातक के भी नाम लिखे जाने लगे। प्रस्तुत नई शिक्षा व्यवस्था उद्यमिता उत्पन्न करने वाली है, कौशल निर्माण करने वाली है, इस शिक्षा व्यवस्था में कौशल निर्माण के सॉफ्ट कौशल एवं कार्यात्मक कौशल को विद्यार्थी के प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक सातत्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, जिससे विद्यार्थी हर दृष्टिकोण से सामर्थ्यवान बन सके। नई शिक्षा नीति 2020 को लगभग 2.5 लाख सुझावों पर विचार करके लाया गया है। इतना बड़ा सामाजिक प्रतिभाग दुनिया के किसी शिक्षा नीति निर्माण में नहीं लिया गया है।

इस नीति का वैशिष्ट्य शिक्षा की भाषा नीति है। भारत के बहुभाषिक स्वरूप को समझते हुए भारतीय भाषाओं को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विस्तारित करना और उसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन विधि को प्रस्तावित करना इस नीति का ऐसा भाग है जो पूर्ववर्ती नीतियों में दिखाई नहीं देता है। जिसके कारण मातृभाषा में शिक्षा की सिद्धांततः स्वीकृति से आगे बढ़ पाना संभव न हो पाया। प्राथमिक स्तर पर सभी को मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने के संकल्प से भारतीय भाषा के माध्यम से बेहतर संभावनाओं को दिखाती यह नीति अनुवाद एवं भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा एक बेहतर और कार्यक्षम दिशा प्रस्तावित कर रही है।

अंत में यह कहना है कि इस शिक्षा नीति में व्यवस्था की नीति, नियति और निष्ठा स्पष्ट है।

शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए मैं इस कालखंड के शिक्षक समाज की ओर से भारत के प्रधानमंत्री, शिक्षामंत्री एवं नई शिक्षा नीति की रचना से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारत एवं भारतीयों के लिए प्रस्तुत शिक्षा नीति से व्यक्ति समाज और राष्ट्र के योगक्षेम एवं कल्याण का पथ प्रकाशित होगा।

स्वागत और क्रियान्वयन के लिए तत्पर है भारत का शिक्षा परिवार।

कुलपति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
वर्धा (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020
सम्यक् दृष्टि एवं सत्संकल्प का संश्लेष

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल

भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह ही हम भारतीयों की चिरप्रतीक्षित अभिलाषा 'स्वत्व निज भारत गहै' राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 से अब पूरी होती लग रही है। शिक्षा नीतियां पहले भी बनती रही हैं। निश्चय ही उसके निर्माता यथाशक्य यत्न भी करते ही रहे होंगे, सत्संकल्प भी किया ही होगा; पर उनमें सम्यक् दृष्टि तथा नियोजन एवं कार्यान्वयन की रणनीति का अभाव रहा, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं आए। यह भी कि परायी दृष्टि और तंत्र के माध्यम से स्वदेशी शिक्षा और वास्तविक लक्ष्य हासिल होने में संदेह रहता ही है। यह नई शिक्षा नीति हमारे अतीत और आज के भारत की वास्तविक समझ एवं सम्यक् दृष्टि से निर्मित है। फिलहाल, यहां भाषा, कला और संस्कृति संबंधी जो प्रावधान हैं, अपनी समझ के अनुसार उन पर कुछ तात्कालिक टिप्पणी करूंगा ।

ज्ञान की प्रकृति आवयविक होती है; इस सिद्ध और मान्य धारणा का नई नीति में भली प्रकार से समावेश है। इसमें ज्ञान को, ज्ञानानुशासनों और संस्थानों की बंद चारदीवारी से बाहर लाकर, उसका अपना स्वाभाविक और उन्मुक्त परिसर संभव करने की व्यवस्था श्लाघनीय और अभिनंदनीय है। भाषा, कला और संस्कृति के लिए तो यह संजीवनी की तरह है। देशज, स्थानिक और परंपरा-प्राप्त ज्ञान को सहेजने और उसका संवर्धन करने तथा उसे शिक्षा-व्यवस्था का अंग बनाने का विधान अपूर्व कहा जा सकता है। चूंकि भाषा, कला और संस्कृति तीनों ही जीवन-प्रवाह में ही आकार ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी अंतर्बुनावट इतनी संश्लिष्ट होती है कि उसे पूरी तरह से विश्लेषित कर अलगाया नहीं जा सकता। इसी अर्थ में भारतीय कला-गौरव के उद्धारक आनंद के. कुमारस्वामी ने भारतीय जीवन के समूचे विन्यास को ही कलात्मक माना है; यहां 'कला' केवल 'कला के लिए' नहीं हो सकती। इस नीति में यह समझ निर्भ्रांत रूप से स्पष्ट है। संज्ञानात्मक और सर्जनात्मक क्षमता के विकास के साथ-साथ संस्कृति को आत्म-गौरव का हेतु मानकर शिक्षार्थी को संस्कृति-संपन्न व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने की इस नीति की समूची योजना राष्ट्र-निर्माण का एक महत् उपाय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 का एक अनूठा पक्ष इसके भाषा संबंधी प्रावधान और उसके अनुप्रयुक्त आयाम हैं। मातृ-भाषा में शिक्षा और उनके संरक्षण की चिंता इनमें से एक है। कहा गया है कि भारतीय भाषाओं पर पर्याप्त और उचित ध्यान न दिए जाने के कारण सैकड़ों, पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। यूनेस्को की सूची के अनुसार 197 और भाषाओं के विलुप्तप्राय होने का उल्लेख है। छोटे और लिपिविहीन भाषायी समुदायों की भाषाओं पर विलोपन का यह खतरा अधिक बड़ा है। इन भाषाओं को यथाशीघ्र संरक्षित कर लेने की चिंता सर्वथा सराहनीय है, किंतु यहां एक बात की ओर ध्यानाकर्षण आवश्यक है। विलुप्तप्राय भाषाओं तथा अन्य भाषाओं संबंधी हमारी सारी चर्चा और चिंता एक अंग्रेज अफसर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के लगभग शताब्दी-भर पुराने भारत के भाषा-सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसके औपनिवेशिक अभिप्राय बहुत स्पष्ट थे। इस सर्वेक्षण के आंकड़े पुराने तो पड़ ही गए हैं, उनके संग्रहण की प्रक्रिया और प्रामाणिकता भी काफी संदिग्ध रही है। इन दोनों बातों से अधिक खतरनाक इस भाषा-सर्वेक्षण में प्रयुक्त अवधारणाएं और स्थापनाएं हैं। भारत के भाषायी परिदृश्य तथा भारतीय भाषाओं के परस्पर संबंधों को अस्त-व्यस्त करने में इस सर्वेक्षण की भूमिका पर कम ही ध्यान दिया गया है। अतः इसका महत्व अब भी अक्षुण्ण बना हुआ है। भारतीय भाषाविदों ने भाषा-सर्वेक्षण के श्रम और कष्टसाध्य कार्य से बचने के लिए इसकी महिमा का आवरण की तरह इस्तेमाल किया है। परिणाम यह हुआ कि स्वाधीन भारत में कभी भी अपने लोगों और अपनी सरकार की ओर से संपूर्ण भारत के भाषा-सर्वेक्षण का अब तक कोई सार्थक उद्यम नहीं हुआ। नई नीति में नए सिरे से भाषा के सवालों को जिस तरह से संबोधित किया गया है, उससे काफ़ी आशाएं जगती हैं। इसलिए कहना यह है कि भारत का एक अभिनव भाषा-सर्वेक्षण यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए। इससे भारत के भाषायी नियोजन में मदद तो मिलेगी ही, भाषा संबंधी प्रश्नों को समझने-सुलझाने के लिए वस्तुनिष्ठ आधार भी प्राप्त होंगे। आठवीं अनुसूची में उल्लिखित और शेष भारतीय भाषाओं के परस्पर संबंध भी अधिक स्पष्ट होंगे।

भाषा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक भारतीय

भाषाओं के शिक्षण कार्यक्रमों को एकीकृत करने तथा उनमें उच्च गुणवत्ता संपन्न विविध प्रकार की सामग्री के निर्माण और उनके सतत अद्यतनीकरण का तंत्र विकसित करने की है। इसमें सबसे अधिक महत्व की बात यह कही गई है कि भारतीय भाषाओं को और अधिक समृद्ध करने के लिए विश्व भाषाओं से पर्याप्त सामग्री का अनुवाद किया जाए; जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई और जापानी भाषाओं ने किया है। यह स्वीकारोक्ति भी एक शुभ लक्षण है कि भारत ने इस दिशा में बहुत धीमी गति से काम किया है। भारत को पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा और जीवंतता के साथ अभीष्ट लक्ष्यों की सिद्धि के लिए इस दिशा में यत्न करना होगा।

देश के विश्वविद्यालयों के भारतीय भाषा विभाग प्रायः साहित्य-शिक्षा तक सीमित हैं; उसमें भी गुणवत्ता का सवाल अलग है। इस कारण देश भर में भाषा-शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। विद्यार्थी और शिक्षक भी, अक्सर संप्रेषण और संवाद अपनी भाषा में करने में अशक्य होते हैं। भाषा केवल साहित्य अथवा व्याकरण और शब्दावली की जानकारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; बल्कि उसे संवाद के साथ-साथ शिक्षण-अधिगम की भाषा के रूप में भी समर्थ होना चाहिए। देश में दक्ष भाषा शिक्षकों के अभाव का भली-भांति रेखांकन करते हुए भाषा-शिक्षा को अनुभवमूलक आधारों पर सुदृढ़ करने की बात कही गई है; किंतु इसे संभव करने के किन्हीं वस्तुनिष्ठ उपायों का उल्लेख नहीं है।

विश्वविद्यालय स्तर पर अन्य ज्ञानानुशासनों के साथ-साथ भाषा की दृष्टि से दो और बातों पर, देर से ही सही, बल दिया गया है। एक तो यह कि भारतीय भाषाओं और तुलनात्मक साहित्य के सशक्त विभाग और कार्यक्रम पूरे देश में शुरू किए जाएंगे। दूसरे, इसी प्रकार, अनुवाद एवं निर्वचन के उच्च गुणवत्ता संपन्न और कौशल आधारित कार्यक्रमों वाले विभाग देश के विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे। एक बहुभाषी राष्ट्र की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा उच्च गुणवत्ता संपन्न ज्ञान-सामग्री और अन्य लिखित या वाचिक सामग्री, जो भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है, उसे सुलभ कराने की दृष्टि से एक भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान (IITI) स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भी कहा गया है कि समय के साथ इसका विस्तार होगा और देश के विभिन्न स्थानों पर, जिनमें विश्वविद्यालय भी होंगे, केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अनुवाद को एक स्वतंत्र विधा तथा राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना निस्संदेह एक दूरदर्शी निर्णय है।

संस्कृत को भी मुख्यधारा में लाने की महत्वकांक्षी योजना प्रस्तुत की गई है। यह एक उपेक्षित अपरिहार्यता थी, जिसकी ओर उचित ध्यान देना अब तक बाकी था। आशा है संस्कृत पाठशालाएं और विश्वविद्यालय, अब बिना समय गंवाये, कर्त्तव्य-मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्लासिकल भाषाओं को लेकर भी अलग से चर्चा की गई है। विश्वविद्यालयों में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। इन भाषाओं की हजारों पांडुलिपियों को भी संरक्षित किया जाएगा। इनके लिए विश्वविद्यालय परिसरों में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित होंगे। आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं में शब्दकोश-निर्माण, अद्यतन अवधारणाओं के विकास आदि प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श/सहयोग से, भाषा अकादमियों की स्थापना करेगी। कुछ प्रश्न जो अभी भी अनसुलझे रह गए हैं; आशा की जा सकती है कि वे भी भविष्य में असंबोधित नहीं रह जाएंगे।

मेरा अभिमत है कि भाषा की दृष्टि से यह दस्तावेज भारतीय भाषाओं की वास्तविक स्वाधीनता एवं औपनिवेशिक दासता से मुक्ति का उद्घोष भी है और उनके आत्म-निर्भर होने के संकल्प की अभिव्यक्ति भी।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भाषा-शिक्षण, तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद के इस नीति में चिह्नित क्षेत्रों में शिक्षण, शोध, प्रशिक्षण और कौशल-विकास के लिए पहल कर चुका है। यह विश्वास भी है कि विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों मे नेतृत्वकारी एवं मार्ग-दर्शक भूमिका में सदैव अग्रसर रहेगा।

प्रतिकुलपति

अधिष्ठाता, भाषा तथा अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ,

म. गां. अं. हिं. वि.,वर्धा।

हिंदी के आचार्य ।

पिछले 25 वर्षों से तुलनात्मक साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र, भाषाविज्ञान आदि के शिक्षण-शोध में संलग्न।

विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन

प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट

अभी जो शिक्षा नीति है, उसमें संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल दिया जा रहा है। इस कारण विश्वविद्यालय से बाहर निकलने वाला छात्र नौकरी के अलावा कुछ और करने में सक्षम नहीं दिख रहा है। खुद का छोटा-सा व्यवसाय उद्योग भी शुरू करने हेतु लगने वाला ज्ञान, उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा से नहीं मिलता। कारण विश्वविद्यालयों में विषयों का एक कठोर विभाजन। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में स्नातक, स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करता है, तो उसे प्रबंधन का विषय मार्केटिंग या एकाउटिंग (Accounting) पढ़ना भी है, तो साथ में पढ़ाया नहीं जाता, जिसके कारण उसे खुद का उद्योग शुरू करने हेतु प्रोत्साहन नहीं मिलता। वह कंप्यूटर में नौकरी ही ढूंढ़ता रहता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बदलाव किया गया है कि विशाल बहु-विषयक विश्वविद्यालय जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालय अभी बहु-विषयक स्नातक शिक्षा को बढ़ावा देगा, जिससे विश्वविद्यालय का छात्र आत्मनिर्भर होगा, जब वह समाज में जाएगा।

12 वीं पंचवर्षीय योजना में यह सामने आया कि प्रगत देशों की तुलना से, भारत में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय बहुत कम है। (19-24 आयु वर्ग के) मात्र 5 प्रतिशत से भी कम है। उसका मुख्य कारण यह है कि कक्षा 11-12 वी के बाद व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किया गया। इसे दूर करने हेतु 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है, जिस कारण बुद्धिमान विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा के विकल्प को आखिरी स्थान पर रखता है क्योंकि आज 'श्रम की प्रतिष्ठा' नहीं है। मुख्यधारा की शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा में शरीर श्रम ज्यादा होता है। महात्मा गांधी के अनुसार 'श्रम की प्रतिष्ठा' बढ़ाना होगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति में सुझाव है कि विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो कि फिर सुचारु रूप से उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से इस प्रकार परिचित हो। इससे उसका भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य व्यवसायों के महत्व से परिचित होगा।

वर्ष 2025 तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित करनी होगी। व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और 'अकादमिक' या अन्य क्षमताओं का विकास साथ-साथ होगा। इसके लिए स्थानीय उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

'लोक-विद्या' अर्थात् भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जहां भी संभव हो ओ.डी.एल. मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठयक्रमों को संचालित करने का प्रयत्न अवश्य किया जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे विश्वविद्यालय में चरखा और हथकरघा के माध्यम से खादी कपड़ा उत्पादन का एडवांस डिप्लोमा शुरू करने का प्रयास

किया।

वंचित और निर्धन छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ODL) ऑनलाइन कोर्स द्वारा दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को प्राथमिकता होगी। बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान क्लस्टरों के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (NCIVE) का गठन होगा, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवाचार (Innovation) के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज होगी। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अधिकतम उद्योगों से जुड़ाव विश्वविद्यालय का कार्य होगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) को प्रत्येक विषय व्यवसाय/ रोजगार के लिए अधिक विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाए और भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्याकता के लिए आधार प्रदान करेगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क छात्रों को 'सामान्य' से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा।

प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण

'डिजिटल इंडिया' अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। इस रूपांतरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच द्विदिश (Bi-Directional) संबंध है। तकनीक को समझने एवं इस्तेमाल करने वाले शिक्षक व उद्यमियों की वास्तविक रचनात्मकता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र दर को देखते हुए यह निश्चित है कि प्रौद्यगिकी, शिक्षा को कई मायनों में प्रभावित करेगी। जैसे नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंम्यूटिंग उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंम्यूटिंग टेस्टिंग और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल यह परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है, वरन यह भी परिवर्तन होगा कि वह कैसे सीखता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में भविष्य में भी प्रौद्योगिकी व शैक्षिक दोनों दृष्टि से विश्वविद्यालय में व्यापक शोध की आवश्यकता होगी।

शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा। बशर्ते कि बृहद स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक संदर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग से आकलन किया गया हो। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) का निर्माण होगा।

जिसका प्रमुख कार्य होगा कि, 1. प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना, 2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण, 3. इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना, 4. अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं का निर्माण करना ठीक रहेगा।

एन.ई.टी.एफ. के सहयोग से विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्यागिकी शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा के विकास, शैक्षिक पहुंच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित करने होंगे। सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के कार्य में हमारा विश्वविद्यालय योगदान दे सकता है। जिसका लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने

वाले छात्रों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को हो सकता है। हमारे विश्वविद्यालय में निर्मित ई-कंटेंट 'दीक्षा' प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है। जिसका उपयोग शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी विकास के लिए किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा/स्वयं, संपूर्ण स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समन्वित किए जा सकते हैं।

जब 1986/1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, तब इंटरनेट के वर्तमान क्रांतिकारी प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन था। आज की शिक्षा प्रणाली में इन तीव्र परिवर्तनों का सामना करने हेतु विद्यार्थियों पर शिक्षण के सभी स्तरों पर ऐसे ज्ञान का अत्यधिक बोझ डालती रहती है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटलिजेंस) 3-डी/7 डी वर्चुअल रियलटी जैसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, ऐसे वक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) के संदर्भ में एन.आर.एफ. त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपना सकता है : (क) कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान को आगे बढ़ाना, (ख) एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास और प्रयोग(ग) स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के प्रयासों को प्रारंभ करना। विश्वविद्यालय के माध्यम से हम स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट पर अनुसंधान हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर बढ़ावा दे सकते हैं।

विश्वविद्यालय को कौशल और उच्चतर शिक्षा के साथ एकीकृत किए जा सकने वाले प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत भागीदारों को साथ लेना होगा। विश्वविद्यालयों में मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मूल क्षेत्रों में पीएच.डी. और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किया जा सकता है। ये 'स्वयं' जैसे मंचों की सहायता से इन क्षेत्रों में अधिकारिक पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका प्रसार कर सकते हैं। शीघ्रता से अपनाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान आरंभ में इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पारंपारिक शिक्षण के स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से 'इमेज क्लासिफिकेशन' और 'स्पीच ट्रांसक्रिप्शन' में लक्षित प्रशिक्षण दे सकते हैं, जो भारत की विविध भाषाओं के लिए स्वाभाविक भाषा प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ जोड़ा जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के लिए 'डाटा' एक महत्वपूर्ण ईंधन के समान है, और गोपनीयता के मुद्दों पर, डाटा-संधारण, डाटा-संरक्षण आदि से जुड़ी सुरक्षा, कानून और मानकों के प्रति जागरुकता बढ़ाना अति आवश्यक है। अन्य परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, संवहनीय खेती पर्यावरण संरक्षण और अन्य हरित उपाय आदि जो हमारे जीवन जीने तथा छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं इन पर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाना विश्वविद्यालय के माध्यम से आवश्यक है।

प्रतिकुलपति
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

नई शिक्षा नीति और प्रौढ़ शिक्षा

प्रो. मनोज कुमार

'प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना' उद्घोष के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है, उसमें बुनियादी साक्षरता, जीविकोपार्जन, प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करने, व्यक्ति को निजी और पेशेवराना स्तरों पर मदद करने, साक्षरता और बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बुनियादी साक्षरता के अभाव में होने वाले नुकसानों का इसमें सम्यक आकलन किया गया है। इसके लिए शैक्षिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन, सामूहिक व सामुदायिक भागीदारी, स्वैच्छिक हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। पाठ्यक्रम की संरचना इस तरह की होगी जिसमें बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य जागरुकता और परिवार कल्याण संबंधी तत्व शामिल होंगे। साथ ही व्यावसायिक कौशल के अंतर्गत सभी स्तरों की शिक्षा के समकक्ष सतत शिक्षा, जिसमें कला, विज्ञान, तकनीक, खेल, मनोरंजन और संस्कृति के साथ-साथ रुचि का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें भिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम पद्धतियों और सामग्रियों का प्रयोग शामिल है। पाठ्यक्रम के ढांचे में प्रशिक्षक, शिक्षक प्रेरक की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रशिक्षण के उपकरण विकसित करने होंगे। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। निशक्तजन, वंचित और ग्रामीण दूर-दराज में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन तथा जीवंत पुस्तकालय को खड़ा करने की कोशिश होगी। सभी इच्छुक प्रौढ़ों को आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को समुदायों में जाकर गैर-नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के बीच उत्प्रेरण का काम करेंगे, आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और उनके बीच व्यापक रूप से जन-जागरुकता के अभियान चलाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें पूर्व के सभी आयोगों की अनुशंसाओं और अनुभवों को ध्यान में रखकर तथा अवलोकन, सर्वेक्षण और सुझावों को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसमें उन सभी बिंदुओं को भी सम्मिलित किया गया है, जो इसे मौलिक तथा भारतीय दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1945 में नई प्रौढ़ शिक्षा समिति से कहा था कि, 'जीवन के लिए शिक्षा का मतलब - जीवन काल के लिए शिक्षा से नहीं है, अपितु प्रौढ़ शिक्षा एक तरह से जीने की कला की शिक्षा है, जो व्यक्ति जीने की कला सीख लेता है, वह पूर्ण मानव बन जाता है। इस दृष्टि को सामने रखकर नई तालीम का आदर्श तुम्हारे काम को प्रेरणा देगा।' पूरे प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रस्ताव में गांधी के प्रौढ़ शिक्षा संबंधी आदर्श का दिग्दर्शन हो जाता है। 1941 में 'रचनात्मक कार्यक्रम : उसका रहस्य और स्थान' जब प्रकाशित हुआ तो उसमें गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण स्वराज या मुकम्मल आजादी को हासिल करने का सच्चा और अहिंसक रास्ता है। रचनात्मक कार्यक्रम में 'बड़ों की तालीम' शीर्षक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उन्हें बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाने का काम मिले तो वे देश के विस्तार और उसकी महत्ता का बोध कराकर पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। गांव ही उनका समूचा देश है, वतन है; लेकिन गांव में जो अज्ञान भरा है, वह विदेशी हुकूमत की देन है। गांव के लोगों में ताकत है, शौर्य है, पराक्रम है और सामूहिकता का भाव भी... उन्हें जबानी तौर पर यानी सीधी बातचीत के जरिए सच्ची राजनीतिक तालीम दी जानी चाहिए। गांधी कहते हैं कि 'सच्ची तालीम देने के इस बिल्कुल बुनियादी सवाल को हल किए बिना स्वराज नहीं मिल सकता।' इस जबानी तालीम के साथ वे लिखने-पढ़ने की भी तालीम देना चाहते थे। इसके लिए वे विशेषज्ञ माने जाने वाले लोगों की एक ऐसी अस्थाई समिति मुकर्रर करना चाहते थे। सेवाग्राम में इसका मुक्कमल प्रयोग किया गया और उसमें व्यापक सफलता भी मिली। सामुदायिक भावना और नागरिक कर्तव्य का लोगों में बोध हुआ। सामूहिक कल्याण के लिए सब में जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ। इसके द्वारा उन्होंने स्वस्थ जीवन का व्यावहारिक सबक सीखा, आत्मनिर्भरता और आत्म सम्मान में वृद्धि हुई।

गांधी परंपरा के उदात्त तत्वों को आत्मसात करते हैं और उसे समयानुकूल बनाकर समाज के समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं। विनोबा जी ने इसका विशद विश्लेषण किया है। विनोबा ब्रह्म विद्या की बात करते हैं। नवधा भक्ति के प्राथमिक तीन साधनों में श्रवण, कीर्तन और स्मरण में पहला स्थान श्रवण का है। तुलसीदास जी ने भी गाया है-

'जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना।
कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना।।
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे।
तिन्ह के हिय तुम्ह कहुं कहूं गृह रूरे।

यानी समुद्र रूपी कानों में तुम्हारी कथा रूपी नदियां निरंतर बहती हैं फिर भी अगर तृप्ति नहीं होती, जिनके श्रवण की भूख सतेज रहती है, उसका हृदय हे राम जी आपके लिए उत्तम निवास स्थान है। भारत में विद्वानों को बहु श्रुत कहा गया है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और कृति का भारतीय शिक्षा में काफी महत्व है। प्रकृति हमारी शिक्षक है। पतंजलि परमात्मा को गुरु रूप में देखते हैं। वेद भगवान ने आज्ञा दी है - आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। यानी दुनियाभर के मंगल विचार हमारे पास आएं। उपनिषद की एक कहानी का उल्लेख यहां अनिवार्य है जिसमें शिक्षार्थी कहता है, अन्ये मनुष्येभ्यः, मुझे मनुष्य ने नहीं, दूसरों ने ज्ञान दिया है। इस प्रकार इन सारे बिंदुओं पर भारतीय चिंतन परंपराओं को नई शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। यह प्रस्ताव अगर नवाचारी उपायों के रूप में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के सामुदायिक भागीदारी को आधार बनाकर शिक्षा के व्यापकतम उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्यान्वित किया गया तो लोकशक्ति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो सकता है। राष्ट्र निर्माण की यह एक कड़ी बन सकती है। साथ ही समाज की विद्रूपताओं से मुक्ति का भी माध्यम बन सकता है। हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं उसी के अनुरूप मनुष्य को बनाना होता है। यह आरोहण की प्रक्रिया है, मूल्य परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा की तलाश होनी चाहिए कि वह सामाजिक चेतना और सामाजिक हित में एकरूपता पैदा करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत चरित्र को उन्नत कर समाज में सृजनात्मक सहयोग का क्षेत्र विस्तारित कर सकें। गांधी जी ने कहा था यदि शिक्षा हमें राष्ट्र का सेवक नहीं बना सकती तो मैं इसकी उपयोगिता को नहीं मान सकता। जनता को विकास का अवसर चाहिए। लोकतंत्र की मुख्य शक्ति लोक शिक्षण में है। लोकमत संगठित होकर समाज परिवर्तन का माध्यम बनता है। मेरा मानना है कि सतत और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोक शक्ति का व्यापक प्रशिक्षण संभव हो सकता है और राष्ट्र तथा समाज के निर्माण में यह मील का पत्थर साबित हो सकेगा। साथ ही लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होगा। समाज में शांति की स्थापना हो सकेगी और अशांति के बीज को हम जड़ से निर्मूल कर सकेंगे। बिना आचार के कोरा बौद्धिक ज्ञान वैसा ही है जैसा मोमियां लगाया हुआ मुर्दा। वह सुंदर तो दिखता है लेकिन उसमें स्फूर्ति या प्रेरणा नहीं रहती। इसमें काम और ज्ञान के रिश्ते को एक साथ लाने की कोशिश हुई है। जब वस्तुनिष्ठ यथार्थ से जोड़कर ज्ञान की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं तो वह ज्ञान प्रक्रिया कभी पलायनवादी नहीं होती। ज्ञान संप्रेषण की यह प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में आगे बढ़ती है। काम के द्वारा ज्ञान यथार्थवादी, टिकाऊ और समीक्षात्मक ज्ञान प्रदान करता है। मेहनत से शांति का भाव पैदा होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है- इन सभी बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लाला लाजपत राय ने विद्यार्थियों से हिंदुस्तानी में यह शपथ दिलवाई भी कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे धर्म और देश को नुकसान पहुंचे। (संपूर्ण गांधी वांगमय, खंड 25, पृष्ठ 450)

मेरी दृष्टि में शिक्षा की सातत्यता या निरंतरता सीखने की भूख सच्चे स्वराज की आधारशिला बनेगी। उन्नत, समृद्ध और स्वस्थ्य भारत ग्रामशिल्प, कला और संस्कृति के संरक्षण में यह सहायक होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमने जो जानकारी या ज्ञान प्राप्त किया है उसे हम समाज को वापस करें लेकिन यह नहीं भूलें कि परंपराओं से उनके पास भी ज्ञान का संचित भंडार है जिससे हमें शिष्यत्व भाव में प्राप्त कर अपने को भी समृद्ध करना है।

निदेशक
महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय समाज के चतुर्दिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षा नीति में भारतीय जन की अभिरुचियों को ध्यान में रखकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषाओं को बनाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता में गुणात्मक अभिवृद्धि होगी। अर्जित ज्ञान का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलते परिवेश में किस तरह उपयोग किया जाए, इसके लिए विद्यार्थियों में विविध वस्तुओं और विषयों के बीच आपसी संबंधों की समुचित समझ को विकसित करने पर बल दिया गया है।

भारत में उपलब्ध विपुल बौद्धिक-सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार नई शिक्षा नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होंगे। लंबे समय से विचार-विमर्श के स्तर पर इसकी महत्ता बतायी जा रही थी। शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहली बार यह संकल्प व्यावहारिक धरातल पर सामने आया है। अपनी संस्कृति और कला की समृद्ध परंपरा से विद्यार्थियों का परिचय और लगाव उनके भावजगत और विचारजगत की समृद्धि की दिशा में सार्थक कदम होगा।

देश की पारंपरिक कलाओं के लिए बच्चों में आकर्षण पैदा कर उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाना उचित होगा, जिससे वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। उन कलाओं को सिखाने की पद्धति पारंपरिक और आधुनिक तकनीक के योग से विकसित की जा सकती है। ध्यातव्य है कि कला के शिक्षार्थियों के जीवनानुभव से जुड़कर उनको नवीन चुनौतियों से भरे समाज में पूरे दमखम के साथ उभरने और टिके रहने में सहायक होंगे।

भारतीय भाषाओं को उनका वास्तविक अधिकार तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। बच्चों को अंग्रेजी के बोझ से मुक्ति दिलाकर अपनी मातृभाषा, घरेलू भाषा में शिक्षा दी जाए तो उनका चतुर्मुख विकास होगा यह बात जोर देकर कही गई है। इस माध्यम से ग्रहण किया ज्ञान उनकी चेतना के स्तर पर टिक सकेगा और सच्चे अर्थों में उन्हें व्यक्तित्ववान बनाएगा। उनके द्वारा अर्जित यह ज्ञान तथा कौशल देश और समाज के लिए अधिकाधिक उपयोगी एवं सार्थक होगा, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। उक्त संदर्भ में महात्मा गांधी का मत अत्यंत महत्वपूर्ण है : ''करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी (हमारी भाषा, पृ. 9)।''

अपने देश की समृद्ध विरासत जो अपनी भाषाओं में सुरक्षित है, उस तक पहुंचने का मार्ग अंग्रेजी से होकर जाए, आज यह बात किसी भी जागरुक शिक्षाविद्, संस्कृतविद् के गले नहीं उतरेगी। ऐसे में 'मघवा मूल विडोजा टीका' की आशंका बलवती होती है। अपनी भाषाओं का समुचित ज्ञान हमारे लिए अधिक उपादेय होगा। इसके अभाव में अनमोल बौद्धिक-सांस्कृतिक संपदा कंजूस के धन की तरह गड़ी हुई पड़ी रह जाएगी। अब तक का हमारा अनुभव इसी का साक्ष्य उपस्थित करता है। उक्त संदर्भ में यह शिक्षा नीति हमें आश्वस्त करती है ।

गहरे परिचय के माध्यम से कलाओं के सम्यक रूप से संवर्धन और व्यापक प्रसार से बच्चों में सही अर्थों में 'सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान' का भाव जगाया जा सकता है। 'अतुल्य भारत' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक ईमानदारी से प्रयास करना होगा। नई शिक्षा नीति में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुदृढ़ वैचारिक धरातल के साथ ही आवश्यक कार्य योजना का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के महत्व को गंभीरता से स्वीकार किया गया है और संपूर्ण देश में शिक्षा संबंधी व्यवहार में उनके निर्बाध प्रवेश और उनके नैरंतर्य को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। आजादी के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी बुराई अंग्रेजी मोह की पहचान कर उससे मुक्ति के मार्ग की तलाश की गई है। देश की जनता की वास्तविक जीवन-स्थितियों से बेखबर रहकर और उनकी उपेक्षाकर अंग्रेजी का मोहग्रस्त प्रयोग देशी भाषाओं की कीमत पर होता रहा है। अंततः देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और लॉर्ड मैकाले की भविष्यवाणी चरितार्थ हुई है। विडंबना यह कि इसका कोई मलाल तो दूर कोई बोध तक हमारे नीति निर्माताओं, अंग्रेजी परस्त बुद्धिजीवियों

और नौकरशाहों को नहीं है। बार-बार महात्मा गांधी याद आते हैं, उन्होंने कहा था : ''अपने देशवासियों पर अंग्रेजी का मुलम्मा चढ़ा हुआ देखकर मुझे जितना दुःख होता है उतना और किसी वस्तु से नहीं। ... मुझे यह नहीं बर्दाश्त होगा कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी हंसी उड़ाए या उसे ऐसा लगे कि वह अपने अच्छे-से-अच्छे विचार अपनी भाषा में नहीं रख सकता। यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे करुण पहलू है।'' महात्मा गांधी ने बीमारी की जड़ पकड़ी थी। नई शिक्षा नीति में बहुत सावधानी से इसका निदान किया गया है और साथ ही उससे मुक्ति के मार्ग का समुचित निर्देश भी किया गया है। बड़ी रेखा को एक झटके से मिटाकर नहीं, बल्कि उसके समानांतर सुदृढ़ रेखा खींचकर किया जाने वाला प्रयास इसकी एक बड़ी मिसाल है। शिक्षा के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा गया है : ''भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ स्वीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बना रहना चाहिए जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट, अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 20.6)।'' इसी क्रम में अनुवाद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उस क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। यहां प्रासंगिक रूप से उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए उनमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करने पर बल दिया गया है। इस आलोक में हिंदी के संवर्धन एवं उसकी बहुविध उन्नति के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा समानधर्मी संस्थानों का दायित्व बढ़ जाता है। इस संबंध में एक सकारात्मक बात यह है कि नीति में निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन उनके पास प्रायः उपलब्ध हैं। आवश्यकता है नए जोश के साथ संकल्पपूर्वक और मनोयोगपूर्वक कार्यशील होने की। उसी स्थिति में एक स्वाधीन राष्ट्र की संकल्पना ठोस रूप ले सकेगी। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति एक अतिशय महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

इस शिक्षा नीति में कई ऐसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित बिंदु हैं जो पूर्व में लागू की गई शिक्षा नीति से इसे अलग कर इसका वैशिष्ट्य निरूपित करते हैं। भारत में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न कालों में लिखित विविध विषयक पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। उनको संरक्षित करने, सहेजने और उनके प्रकाशन हेतु संकल्पबद्ध प्रयास अत्यंत सराहनीय कदम है। शिक्षा नीति में कहा गया है : ''भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। ... अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किए जाएंगे (राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020, 22.16)।'' भारतीय भाषाओं को मजबूत बनाने का ऐसा संकल्प फलीभूत होकर भारत की संचित ज्ञानराशि से संपूर्ण मानव समाज का हित संवर्धन कर अपनी सार्थकता प्रमाणित करेगा, यह शिक्षा नीति इस स्तर पर अत्यंत उत्साहवर्धक है।

भारत की कलाओं तथा भाषाओं के बहुविध संरक्षण और प्रचार-प्रसार के दूरगामी परिणाम देश की सांस्कृतिक एकता को अधिकाधिक मजबूती प्रदान करेंगे, इस संदर्भ में नई से नई तकनीक के प्रयोग को बार-बार रेखांकित किया गया है : ''सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का, वेब आधारित प्लेटफॉर्म/पोर्टल/ विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर वीडियो, शब्दकोश, रिकार्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020, 22.19)।'' अधुनातन टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाने वाला प्रयास कालांतर में कार्यरूप में परिणत होकर देश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल कार्यान्वयन आनेवाले समय में देश को शिक्षा संबंधी वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ बना सकता है। इसके लिए मनोयोगपूर्वक संकल्पबद्ध होकर निरंतर प्रयास करना आवश्यक होगा।

प्रोफेसर
हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

नई शिक्षा नीति, 2020 : गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विश्वास

प्रो. अखिलेश कुमार दुबे

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्, प्रच्छन्नगुप्तं धनम्
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः।
विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परं दैवतम्
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं, विद्या विहीनः पशुः।।

भारतीय वाङ्.मय में विद्या/शिक्षा की अपार महिमा का गान सहज सुलभ है। उद्धृत सूक्ति संस्कृत के यशस्वी कवि भतृहरि ने अपने नीतिशतक में लिखी है। सूक्ति, शिक्षा की बहुआयामी महत्ता को सुस्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। इससे यह साफ ध्वनित होता है कि हमारे पूर्वजों ने धन के ऊपर 'शिक्षा' को स्वीकार कर भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता में ज्ञान और विवेक के मूल्यवान तत्त्वों की दृढ़मूल प्रतिष्ठा की है। यह अनायास नहीं है कि प्राचीन भारत में विश्व-प्रतिष्ठा के शिक्षा-संस्थानों की उपलब्धता थी। नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी आदि विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए पहुँचते थे। बहुसंख्यक विद्या-जिज्ञासु, विदेशों से भी आया करते थे। इन सब विद्यार्थियों के लिए भोजन, आवास आदि के समस्त प्रबंध, आचार्यगण स्वयं करते थे। समाज का सहयोग प्राप्त कर। भारतीय विद्या-केंद्र और उनसे संबद्ध आचार्य विश्वविश्रुत थे। उन्हें ज्योतिष, वास्तु-विद्या, धात्विकी, चिकित्सा, खगोल आदि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में यश प्राप्त था। भारत विश्वगुरू था। यह सब संभव हुआ था, समाज के द्वारा 'ज्ञान' के प्रति अपनी निष्ठा और वरीयता तय करने से। स्पष्ट है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर भविष्य के लिए रोडमैप बनाना ही होगा। अन्यथा उसे पिछड़ा, अशक्त और अक्षम रहने का अभिशाप झेलना पड़ेगा।

साम्राज्यवादी शक्तियों की दीर्घकालिक दासता ने भारतवर्ष की बहुत हानि की। औपनिवेशिक अर्थनीति, शिक्षानीति ने देश का भयानक शोषण किया। इसका प्रभाव काफी व्यापक रहा। प्रतिभाओं की प्रचुरता के बावजूद हम पिछड़ने लगे। स्वतंत्र भारत में स्थितियों में परिवर्तन जरूर हुए, शिक्षा के क्षेत्र में। नीतियाँ बनीं और उनके क्रियान्वयन भी हुए। पहली शिक्षा नीति सन 1968 में तैयार हुई और दूसरी नीति बनने में 18 वर्ष लगे। इन नीतियों ने भारतवर्ष में शिक्षा-व्यवस्था का स्वरूप बदला भी लेकिन आज के ज्ञानाधारित समाज के लिए, 21वीं शताब्दी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता के विकास के लिए जितना सामर्थ्यवान होना था वह नहीं हो पाया। यह निर्विवाद सत्य है कि दुनिया में परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेज है। ज्ञान-विज्ञान की नई-नई संभावनाएँ सामने हैं। समूचा ज्ञान-परिदृश्य या यह कहा जाए कि 'ज्ञान-तंत्र' बदल रहा है। अत्याधुनिक हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफिसियल इंटेलीजेंस), सूचना व संचार क्रांति, रोबोटिक्स व अन्य ज्ञानानुशासन तेजी से मानव सभ्यता और समाजों को आकार दे रहे हैं। उनकी क्षमता का असाधारण विकास कर रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे विविधताओं वाले देश के सामने प्रश्न है, 'वैश्विक स्पर्धा' का। यह प्रतियोगिता, हमारे राष्ट्र और जन को सब तरह से ताकतवर बनाएगी। इसके लिए हमारी नीतियों को नवीकरण और अनुकूलन की प्रक्रिया से लगातार गुजरने के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहना है। बड़े व क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा से ही संभव है, जैसा कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में पहले से ही मौजूद है। शिक्षा, मनुष्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व-निर्माण के हेतु एकमात्र भरोसेमंद साधन है। सुखद संयोग है कि 'कोरोना महामारी' के समय में 'नई शिक्षा नीति 2020' स्वीकृत हो गई। यह नई नीति, 2015 से तैयारी की प्रक्रिया में थी। शिक्षा व समाज के अन्य क्षेत्रों से जुड़े जिम्मेदार लोगों को सम्मिलित करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से, सबके परामर्श पर विचार करते

हुए यथोचित संशोधन व परिवर्तन के बाद यह दस्तावेज तैयार हुआ है। लगभग 34 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद। यह चार मुख्य भागों व 27 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डिजिटल शिक्षा प्रारूप आदि पर व्यवस्थित नीति तय हुई है। साथ ही शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रणनीति भी स्पष्ट की गई है। इस प्रकार यह 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति के द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों के द्वारा भारत के भविष्य की दिशा का संकेत मिलता है। 21वीं सदी चुनौतियों की सदी है। चुनौतियाँ देश के सामने भी हैं और विश्व के समक्ष भी। ऐसे में देश को सशक्त बनाते हुए विश्व-हित के लिए उपयोगी होना है। प्रत्येक भारतीय को शिक्षा का अवसर मिलना है। यह नाम मात्र की शिक्षा का अवसर नहीं, बल्कि मनुष्य बनाने वाली, रोजगार-क्षम बनाने वाली, भारतीय संस्कृति व परंपरा के मूल्यों से समृद्ध करने वाली और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अडिग बने रहने के साहस से लैस करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। ‘नई शिक्षा नीति 2020‘इस दृष्टि से आश्वस्तिकारी परिलक्षित हो रही है। इसमें भारत को आर्थिक महाशक्ति और ज्ञान समाज में रूपांतरित करने की सामर्थ्य समाहित है। उच्चतर शिक्षा की व्यापक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए महत्वाकांक्षी, व्यावहारिक व दूरदर्शितापूर्ण प्रावधानों की व्यवस्थित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और कोशिश की गई है कि नीति का क्रियान्वयन सफल और सुनिश्चित हो। उच्चतर शिक्षा के प्रावधान, नई शिक्षा नीति के अध्याय 09 से प्रारंभ करके 19 तक हैं। नवें अध्याय में उच्चतर शिक्षा के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण से संबंधित नीतियां हैं। इनमें सबसे ऊपर मनुष्य निर्माण और सामाजिक कल्याण में उच्चतर शिक्षा की निर्णायक भूमिका का स्वीकार है। पश्चात 21वीं सदी की चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुसार नई शिक्षा नीति की उपयोगिता का रेखांकन करते हुए मनुष्य को उत्पाद बनाने वाली शिक्षा के स्थान पर व्यक्ति की प्रतिभा को धार देने और रचनात्मक बनाने पर बल दिया गया है। साथ ही सिर्फ डिग्री देने के स्थान पर व्यक्ति को कार्य-क्षम बनाकर उसे समाज के लिए उपयोगी बनाकर संतुष्ट जीवन जीने का अवसर देना भी, नीति का अंग है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास, उसकी प्रतिभा पहचानकर, भविष्य की समुचित दिशा में विकसित करना और कौशल विकसित करना, नई शिक्षा नीति में सम्मिलित है। इस तरह यह नई शिक्षा नीति समाज में हीन, अकुशल व असंतुष्ट मनुष्यों की निर्मिति को रोकने में कारगर होगी। इसमें राष्ट्र निर्माण को प्रधानता देने के साथ-साथ ज्ञान-निर्माण और नवाचारों को विशेष महत्त्व दिया गया है। नवाचार, युग की माँग है। नवाचारों ने संसार के स्वरूप को तेजी से परिवर्तित किया है। नवाचारों के प्रयोग से उच्चतर शिक्षा की व्याप्ति और सामर्थ्य में वृद्धि होगी। पिछली शिक्षा नीति में कौशल विकास उपेक्षित था। विद्यार्थियों को अपनी रूचि के अनुसार विषय चयन के अवसर भी कम थे। ऐसे में विद्यार्थी अपनी प्रतिभा/क्षमता का सही-सही उपयोग करने से वंचित रह जाता था और परिणामस्वरूप वह असंतुष्ट और अकुशल रह जाता था। जीविका के उचित अवसरों से वंचित हो जाता था। शोध के बिना ज्ञान-कोष में अभिवृद्धि संभव नहीं है। इसलिए नई शिक्षा नीति में पिछली शिक्षा नीति की यह कमी दूर कर दी गई है। यह सर्वविदित है कि शोध की वर्तमान उपलब्धियाँ, वे चाहे विज्ञान की हों, समाज-विज्ञान या मानविकी आदि के क्षेत्रों की ही क्यों न हों? सबमें गुणवत्ता की कमी लक्षित हुई है। शोध-उपाधि, नौकरी पाने का जरिया भर होकर रह गई। नई शिक्षा नीति में ‘शोध-संवर्धन‘ पर विशेष बल दिया गया है। पिछली शिक्षा नीति की समस्याओं को चिह्नित करते हुए उनके समाधान के प्रबंध भी, नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। (बिंदु सं. 9.3, क से झ तक)।

उच्चतर शिक्षा के उन्नयन से संबंधित नई शिक्षा नीति में 'संस्थागत पुनर्गठन' (अध्याय 10) के अंतर्गत प्रभावशाली व्यवस्था दी गई है। यदि इनका कार्यान्वयन शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो जाए तो उच्चशिक्षा की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी। इसके अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा संस्थानों के विकास की योजना की गई है, जहाँ तीन हजार के आसपास विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपनी रूचि के अनुशासन का अध्ययन कर सकें और इन संस्थानों की शोध व शिक्षण संबंधी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहे। यह एक साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए 2040 तक इसे क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो व्यावहारिक प्रतीत होता है। नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा की व्याप्ति के मामले में भी सावधान है इसमें प्रत्येक जनपद में उच्च शिक्षा का एक संस्थान प्रारंभ करने की योजना है। शिक्षा के लिए सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर बल दिया गया है। ऑलाइन/डिजिटल शिक्षा का उपयोग करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों के कैचमेंट के विस्तार की भी योजना है। इसके माध्यम से उत्कृष्ट संस्थानों से पढ़ाई का अवसर भौगोलिक रूप से कठिन स्थानों के विद्यार्थियों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी प्राप्त होगा। शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता देने के साथ ही उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। उनके सतत मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की योजना है। 'एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली' की दिशा में क्रियाशीलता का भी प्रावधान है। इसमें व्यावसायिक, पेशेवर, हर प्रकार की शिक्षा सम्मिलित होगी। नई शिक्षा नीति के ग्यारहवें अध्याय में समग्र व बहुविषयक शिक्षा प्रणाली की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह रूपरेखा रचनात्मकता, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान योग्यता, संप्रेषण, कौशल विकास व नैतिकता आदि को समाहित किए हुए है। इस प्रावधान का स्पष्ट लक्ष्य है, मनुष्य को उत्पाद बनने से रोकना। समाज को रचनात्मक बनाने की दिशा में प्रयत्न करना। हृदय और बुद्धि के सम्यक् विकास पर बल दिया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत मनुष्य के न केवल बौद्धिक व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया गया है, अपितु उसके समेकित (सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक, नैतिक) व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रखा गया है। यह बहुविषयक शिक्षा की पद्धति से संभव होगा, जहाँ विद्यार्थी को एक साथ मानविकी/विज्ञान/समाजविज्ञान आदि से अपनी रुचि के विषयों के चयन की छूट होगी।

इस अध्याय में पाठ्यक्रमों की संरचना को उदार बनाने पर बल है। अंतर्विषयक एकता पर जोर दिया गया है। अंतर्विषयक दृष्टि आज के ज्ञान-समाज की आवश्यकता है इसलिए यह प्रावधान उचित है। इस नई नीति में भाषा, साहित्य, दर्शन, संगीत, कला, भारत-विद्या, शिक्षा, गणित, अनुवाद, नाट्यकला को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। ऐसे उपयोगितावादी समय में जब मानविकी/समाजविज्ञान के विषयों को अनुपयोगी मानकर उन्हें बंद करने की बातें उठने लगी हों, इन विषयों की महत्ता का स्वीकार और तत्संबंधी व्यवस्था आश्वस्त करती है। इसी के साथ शिक्षा और सामुदायिक सरोकार को मजबूत करने पर भी बल है। पर्यावरण-चिंता, हमारे समय की बड़ी चिंता है। समूची दुनिया के सामने, इसके कारण पारिस्थितिकी के असंतुलन व इससे उपजने वाले दुष्परिणामों का संकट है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा पर फोकस आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। साथ ही भौतिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव मूल्यों के सामने संकट है। यह मानव सभ्यता के लिए बेहद खतरनाक संकट है। इससे निबटने के लिए विद्यार्थियों को मूल्यों की शिक्षा देना परमावश्यक है। इससे उच्चतर शिक्षा अपने वास्तविक लक्ष्य मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सफल होगी। नई शिक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण और आकर्षक प्रावधान, डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि है। अब डिग्री कोर्स 03 वर्ष के, शोध सहित 04 वर्ष। स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम 04 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी के लिए 01 वर्ष का होगा और बड़ी बात यह है कि यदि

कोई विद्यार्थी 01 वर्ष, 02 वर्ष या 03 वर्ष पढ़ाई करता है तो उसे क्रमशः सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री मिलेगी जबकि पहले यदि पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती थी तो उस विद्यार्थी का सारा परिश्रम अर्थहीन हो जाता था। अब वह अपने समय व श्रम के लाभ से वंचित नहीं होगा। 04 वर्षीय पाठ्यक्रम संपन्न करने वाला विद्यार्थी जिसकी शोध क्षमता प्रमाणित हो चुकी है वह पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा। इस तरह इस नीति में बहुत लचीलापन और विद्यार्थी केंद्रिकता है। मल्टीपल एंट्री व एक्जिट के अवसर दिए गए हैं। अनुसंधान की संस्कृति के विकास के लिए 'बहुविषयक शिक्षा व अनुसंधान विश्वविद्यालय' की स्थापना की योजना। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' की व्यवस्था सहित संस्थानों को मजबूती से विकसित करने पर बल। अकादमिक संस्थानों के उद्योग जगत से जुड़ाव को भी प्रोत्साहित किया गया है।

'नई शिक्षा नीति' सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण निर्माण पर भी बहुत बल देती है क्योंकि यदि विद्यार्थी को अनुकूल, उत्साह-प्रदायी शैक्षणिक-सामाजिक परिवेश अप्राप्त होगा तो वह विद्यार्थी ठीक से विकसित ही नहीं हो पाएगा इसलिए इसमें पाठ्यक्रमों के अद्यतन करने, विद्यार्थी के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने पर फोकस किया गया है। पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी अपने विद्यार्थियों को प्रिय संदेश देते थे- ''सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथविद्यया। देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव।'' ऐसी ही भावना नई शिक्षा नीति में सम्मिलित है। नई शिक्षा नीति में वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए सम्यक व्यवस्था की गई है। अध्याय 12 के बिंदु सं. 12.4 में यह व्यवस्था है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थी विभिन्न अवरोधों के कारण उच्च शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए संस्थान गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करेंगे। इसके लिए संसाधन मुहैया कराया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक, अकादमिक व करियर परामर्शदाता तो होंगे ही, साथ ही उन विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए परामर्शदाता भी होंगे। यह निश्चित रूप से अच्छा प्रयास है, जिससे वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पूरी करने में सहायता प्राप्त होगी। इस अध्याय में शिक्षा की वैश्विक गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया है और इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे विदेशी विद्यार्थी अधिक संख्या में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की तरफ आकर्षित हो सकें। इसमें भारत-विद्या, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग आदि के विशेष पाठ्यक्रम सहयोगी रहेंगे। इसमें एक महत्वाकांक्षी व्यवस्था के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले गंतव्य के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है। साथ ही विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की बात रखी गई है। उच्च भारतीय संस्थानों को विदेशों में अपने परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की भी योजना है। उच्च शिक्षा का अवसर सबको मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने की योजना है। निजी संस्थानों को भी शुल्क मुक्ति और छात्रवृत्ति देने के लिए प्रोत्साहन होगा।

'नई शिक्षा नीति', 2020 में संकाय की क्रियाशीलता, क्षमता विकास की योजना, बहुत व्यवस्थित तरीके से की गई है। इसके लिए नीति में कई अनुशंसाएँ हैं। मसलन बुनियादी सुविधाओं/प्रौद्योगिकी (नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी) की उपलब्धता, शिक्षण का अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा। प्रतिबद्ध, समर्पित संकाय सदस्य तैयार किए जायेंगे। शिक्षकों को दबावमुक्त कर उनकी रचनात्मकता में वृद्धि सुनिश्चित की जाने की व्यवस्था है। पाठ्यक्रम निर्माण, मूल्यांकन आदि में उन्हें काफी स्वतंत्रता होगी साथ ही उत्कृष्ट

कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार व पदोन्नति की उपयुक्त व्यवस्था की गई है। संकाय सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, स्वतंत्र और सुस्पष्ट रखा जाएगा। साथ ही इनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। नीति के दस्तावेज में, अध्याय 14 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश के अंतर्गत सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धि सुनिश्चित करना। 'नई शिक्षा नीति' में यह भी सम्मिलित है कि बहुत बार उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव रहता है या आर्थिक अवसरों की हानि होती है, आर्थिक कठिनाई, भाषाई अवरोध, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जटिलता आदि को उच्च शिक्षा की चुनौती के रूप में पहचान कर, इनको दूर करने के लिए सुनियोजित प्रयत्न किया जाए। इसके लिए सरकारी व उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले प्रयासों का भी स्पष्ट उल्लेख है। जैसे सरकारी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास को प्राथमिकता देना जो स्थानीय या भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण व्यवस्था में संलग्न होंगे। छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रौद्योगिकी का निर्माण व विकास आदि।

संक्षेप में 'नई शिक्षा नीति 2020' 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप है और इसमें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ-साथ नवाचार, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सर्वतोमुखी व्यक्तित्व विकास (विद्यार्थी के), सर्वथा मानवीय दृष्टिकोण के विकास पर बल दिया गया है। इसमें शिक्षा के सभी स्टेक होल्डर्स हितधारकों के हितों की विवेक-सम्मत रक्षा का भाव सन्निहित है। खासकर आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के हितों का सम्यक ध्यान रखा गया है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने का सामर्थ्य देने का सुंदर व वैज्ञानिक नियोजन किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विश्वास पैदा हुआ है।

प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग एवं
अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
प्रयागराज, उ.प्र.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा

डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार की औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी शैक्षिक संकल्पना से मुक्ति की अवधारणा को स्थापित करने की चेष्टा है। विगत कुछ दशकों से शिक्षा की प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को मानव संसाधन के रूप में विकसित करना रहा है। यह एक साधनीभूत उद्देश्य (Instrumental Purpose) है। यह अचरज का विषय ही है कि हम अपने बच्चों को मनुष्य के रूप में विकसित होते न देखकर संसाधन मात्र के रूप में विकसित होते देखें और ऐसे में समाज या परिवार का प्रत्यक्षण मात्र एक संसाधन की तरह हो। किसी भी शिक्षा प्रणाली या शैक्षिक प्रक्रिया का यह अत्यंत संकुचित उद्देश्य प्रतीत होगा। नई शिक्षा नीति की मनुष्यत्व के विकास की मूल अवधारणा का प्रथम प्रकटीकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित करने से अनुभूत होता है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य का निर्माण करना हैं यानी ऐसा मनुष्य जो नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सांवेगिक रूप से परिपूर्ण हो जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। जो मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, संवर्धन व संरक्षण कर सके एवं अगली पीढ़ी को उन मूल्यों को व परंपरा के मूल तत्वों को सकारात्मक रूप से हस्तांतरित भी कर सके। शिक्षा से संबंधित किसी भी विमर्श के लिए आवश्यक है कि शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य संवाहक - शिक्षक या अध्यापक की निर्मिति पर भी गंभीर विमर्श व सकारात्मक हस्तक्षेप हो।

अध्यापक शिक्षा से संबंधित विमर्श देश में लंबे समय से चलता आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं समितियों के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था सहित अध्यापक शिक्षा की संरचनात्मक प्रणाली पर भी नीतियां बनती रही हैं एवं उनका क्रियान्वयन भी होता रहा है परन्तु समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न प्रयत्नों के उपरांत भी अध्यापक शिक्षा की संरचना एवं इसके क्रियान्वयन का दायित्व निर्वहन करने वाले विभिन्न निकायों एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली सदैव चिंता का विषय रही है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में विद्यालयों की संख्या में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यार्थियों के बढ़ते हुए नामांकन के परिणामस्वरूप शिक्षकों की आवश्यकता भी बढ़ी और शिक्षकों की कमी पूर्ण करने के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा विभागों की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986 और उसके अधीन 1992 की कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के प्रथम प्रयत्न के रूप में सांविधिक दर्जे और अपेक्षित संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कल्पना की गई थी जिसके अनुसरण में अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के सुनियोजित-समन्वित विकास तथा उसके लिए मानक निर्धारित करने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई जिसे संसद के NCTE एक्ट 1993 द्वारा 17 अगस्त 1995 को सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया लेकिन इन समस्त प्रयत्नों के बाद भी अध्यापक शिक्षा की दशा-दिशा विचारणीय ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में भी इस संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने के क्रम में संख्यात्मक वृद्धि तो हुई परन्तु कहीं न कहीं गुणात्मक संवर्धन उपेक्षित रह गया।

विगत कुछ दशकों में यह भी हुआ है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में पारस्परिक विश्वास व पारंपरिक मूल्य आधारित संबंधों में कमी भी आई है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हमारी पाठ्यचर्या में भारतीय परंपरा के मूल तत्वों एवं उचित मानवीय मूल्यों के विकास की अनदेखी हुई है, लम्बे समय तक औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति ने लोगों के अन्दर एक प्रकार की हीन भावना भर दी है जिसके परिणामस्वरूप हमें विदेशी शिक्षा अधिक अच्छी व उच्च स्तर की लगने लगी है एवं

भारतीय शिक्षा परंपरा को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है. महात्मा गांधी ने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में बालक के शरीर, मन एवं आत्मा के विकास की बात कही है, शिक्षा की प्रक्रिया उस उद्देश्य को आत्मसात करने से वंचित सी रह गई प्रतीत होती है। गांधी जी ने शिक्षा की प्रक्रिया में 3 H अर्थात Hand, Head एवं Heart के विकास के माध्यम से कौशल विकास, मानसिक विकास व आध्यात्मिक विकास की बात की थी। आज की शिक्षा समग्रता में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो गई प्रतीत होती है।

वर्तमान समय में ऐसे शिक्षक समुदाय की आवश्यकता है जिसमें शिक्षकगण वैश्विक आवश्यकता के अनुसार ज्ञान एवं भारत-केंद्रित विद्या के अनुरागी तो हो ही साथ ही अपनी परंपरा, लोक संस्कृति, मानवीय व सामाजिक मूल्य आदि के विकास व संवर्धन के प्रति भी सजग व सचेष्ट हो। भारतवर्ष जैसे बहुभाषिक व बहु सांस्कृतिक देश में हाल के वर्षों में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है जिसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर भी पड़ा है। इस परिस्थिति में हमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता से युक्त हों एवं भाषाई व अन्य सामाजिक आचार-विचार तथा परंपराओं से युक्त बहुलवादी समाज एवं शिक्षार्थियों के सामाजिक-संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील भी हों। 1968 एवं 1986 की शिक्षा नीतियों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक निर्माण एवं वृत्तिक नैतिकता सापेक्ष मानदंड निर्धारण की संकल्पना की तो गई लेकिन इन सब का जो परिणाम है वह हम सब के समक्ष है। संभवतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में शैक्षिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति का यह अनूठा उदाहरण है और उक्त स्वीकारोक्ति हमारी शिक्षा व्यवस्था, विशेषतः अध्यापक शिक्षा प्रणाली की गंभीर दुरवस्था की तरफ संकेत है। यह सर्वविदित है कि जिन लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई थी, यह निकाय न सिर्फ उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने में पूर्णतः असफल रहा है बल्कि इसने अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को अव्यवस्था और नकारात्मकता की ओर धकेला भी है।

ऐसे में, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना एवं उसके अंतर्गत एकल नियामक व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद के माध्यम से ही अध्यापक शिक्षा की प्रणाली के विनियमन आदि निर्धारित करने से अनावश्यक प्रणालीगत अव्यवस्था दूर होगी, यह आशा है।

वर्तमान में अध्यापक शिक्षा प्रणाली व पाठ्यचर्या में कतिपय भागीदारों के अति उत्साह एवं जमीन से न जुड़े होने के कारण विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विगत कुछ वर्षों में अध्यापक शिक्षा की संरचना में कई परिवर्तन किए गए हैं। पूर्व-प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की विद्यालयी शिक्षा के लिए 15 विभिन्न प्रकार के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की संकल्पना की गई फिर भी कुछेक विसंगतियां बनी रहीं।

इन बातों को दृष्टिगत करते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा की संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन को अभीष्ट माना गया है। अध्यापक शिक्षा की नवीन प्रस्तावित संरचना में इसी नीति द्वारा उच्चतर शिक्षा की संरचना में किए जाने वाले परिवर्तन के सापेक्ष माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम में अपेक्षित लचीलेपन का ध्यान रखा गया है। इसमें एक तरफ जहाँ वृत्तिक निष्ठा व दक्षता से युक्त शिक्षकों की तैयारी के लिए विद्यालयी शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक) के बाद चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहीं स्नातक कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय बी.एड. का प्रावधान एवं नव-प्रस्तावित चार वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव की स्थिति में निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य निर्णय है। वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उपरांत संरचनात्मक रूप से अध्यापक शिक्षा के अधिकांश प्रावधान अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेंगे, ऐसी आशा है।

कहा जाता है कि किसी देश का प्रारब्ध उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। निश्चित रूप से इस स्थिति में शिक्षक ही उस प्रारब्ध के शिल्पकार होते हैं। हमारी परंपरा में शिक्षक अर्थात गुरु को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित पंक्तियों में गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया गया है यथा : गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है। हमारी परंपरा में गुरु को जहाँ इतना उच्च स्थान मिला हुआ था वहीं वर्तमान में शिक्षक के प्रति उस

सम्मान में कमी दिखती है। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक प्रमुख कारण यह है कि शिक्षक तैयार करने या अध्यापक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली इतनी प्रदूषित हो गई है कि कुछ अपवादों को छोड़कर अध्यापक शिक्षा संस्थानों में शिक्षक तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया अगंभीर प्रयत्नों से भरी हुई है। अधिकांश अध्यापक शिक्षा संस्थान अपर्याप्त शिक्षकों से चल रहे हैं। उन संस्थानों में कक्षाएं संचालित नहीं हो पातीं और अधिकांश विद्यार्थी अनुपस्थिति या अत्यल्प उपस्थिति के बावजूद भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं एवं उत्तीर्ण होकर शिक्षक बन जाते हैं यद्यपि इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता और आम तौर पर यह एक तथ्य है। इस तरह आधे अधूरे यत्नों से बने शिक्षक ना तो शिक्षण वृत्ति के प्रति निष्ठावान रह पाते हैं ना ही शिक्षण वृत्ति की मर्यादा एवं गुरुता को समझ पाते हैं। उनमे ना ही अपनी शिक्षण-वृत्ति के प्रति समर्पण की भावना विकसित हो पाती है, ना ही अपने ज्ञानानुशासन अथवा विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील हो पाते हैं। इससे विद्यालयी शिक्षा की स्थिति पर भी चिंताजनक प्रभाव पड़ा है। इसका एक गंभीर परिणाम यह हुआ है कि शिक्षकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में नकारात्मक परिवर्तन हुआ है। कहने को तो इस भौतिकतावादी समय में अधिक संख्या में बच्चे उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी की शिक्षा या अन्य रोजगारपरक शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं परन्तु अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि उन बच्चों में से अधिकांश में अपेक्षित मानवीय मूल्यों का विकास, नैतिकता का विकास व सांवेगिक विकास नहीं हो पाता है। प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है विद्यालयों में उच्च नैतिक मानदंडों वाले शिक्षक नियुक्त हों जिसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आए। शिक्षक बनने के अभ्यर्थी सुदीर्घ समय तक अध्यापक शिक्षा के मूल तत्वों को ग्रहण करने के साथ-साथ अपने ज्ञानानुशासन से संबंधित विषय-वस्तु का ज्ञान भी अर्जित करें एवं अपेक्षित मूल्यों का विकास भी कर सकें ऐसी शिक्षा की संरचना होनी चाहिए। अतः वर्ष 2030 तक, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपेण क्रियान्वित करने की योजना सराहनीय कदम है।

एकल शिक्षा संस्थानों की अवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है बहुविषयक संस्थान अथवा ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ विभिन्न विषयों के विभाग हैं वहाँ अध्यापक शिक्षा का संचालन अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विशेषतः भावी शिक्षकों को भारत-विद्या आधारित ज्ञान के सृजन का अवसर मिल सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यापक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अभ्यास एवं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम एक चुनौती के समान है। विशेषतः इस स्थिति में जब अध्यापक शिक्षा संस्थानों की संख्या में अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को उचित संख्या विद्यालय उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण शिक्षण अभ्यास आदि के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिए सार्वजनिक व निजी विद्यालयों के नेटवर्क होने की बात कही गई है जिससे कि भावी शिक्षक उन विद्यालयों में शिक्षण अभ्यास के साथ साथ सामुदायिक कार्य का अनुभव भी ले सकें। यह एक अच्छी संकल्पना है। यद्यपि इसके क्रियान्वयन की अपनी चुनौतियाँ भी हैं। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए गंभीर व ईमानदार प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा अध्यापक शिक्षा में भाषाई व सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश का निर्णय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को अध्यापक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सेवारत शिक्षकों व संकाय सदस्यों के ज्ञान संवर्धन हेतु विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों का गंभीरता से क्रियान्वयन करना एवं सलाह (डमदजवतपदह) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का संकल्प निश्चित रूपेण एक सराहनीय पहल है। आशा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा संकल्पित व क्रियान्वित कार्यक्रमों से हमारी अध्यापक शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले वर्षों में अवश्य दिखेगा।

अध्यक्ष,
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

शिक्षा को प्रौद्योगिकी का समर्थनः सशक्त भारत का निर्माण

डॉ. शिरीष पाल सिंह

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा एकीकरण एवं ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा द्वारा प्रौद्योगिकी के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास एवं इसकी विस्तृत पहुँच ने विगत 10 वर्षों में हमारे दैनंदिन कार्यों में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप से बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। प्रौद्यिगिकी ने शिक्षण-अधिगम को गुणवत्तापूर्ण, रुचिकर, सरल तथा प्रभावी बनाने में शिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान की है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हुए अनुसंधान कार्यों और प्राप्त परिणामों जिसमें विशेषकर प्रौद्योगिकी स्वीकृति प्रतिमान के अंतर्गत प्रौद्योगिकी की स्वीकृति तथा उपयोग के एकीकृत सिद्धांत सम्मिलित है, ने प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता को सर्व सिद्ध किया है।

21वीं सदी का भारत डिजिटल इण्डिया अभियान का भारत है, जो एक ओर डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है तथा वहीं दूसरी ओर शिक्षा और प्रौद्योगिकी के द्विदिश संबंधों की पहचान करते हुए प्रौद्योगिकी एकीकृत शिक्षण अधिगम को भी प्रोत्साहित कर रहा है। शिक्षा में तकनीकी के उपयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992 द्वारा शिक्षा में टेलीविजन तथा रेडियो के प्रसार को विस्तारित करने के साथ शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णरूप से समर्पित सैटेलाइट प्रणाली के विकास की बात की गई थी। इसी क्रम में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास करने हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था पर जोर भी दिया गया। वर्तमान शिक्षा नीति NPE-2020 की सिफारिशों की यदि बात की जाए तो प्रौद्योगिकी विकास की तेज गति को देखते यह कहीं अधिक व्यावहारिक और अनुप्रयोगात्मक पक्षों पर बल देती है।

वर्तमान शिक्षा नीति 2020, प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा एकीकरण के संबंध में वर्तमान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे- आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन, स्मार्टबोर्ड, एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग आदि के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और 'क्या-क्या सीखने' के साथ 'कैसे सीखने' की अवधारणा को समझने के लिए व्यापक शोध की सिफारिश भी करती है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग व एकीकरण को सुदृढ़ तथा बेहतर बनाने की दिशा में वर्तमान शिक्षा नीति 2020 ने तकनीकी प्रयोग के स्तर पर एक ऐसे स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) के गठन की महत्वपूर्ण सिफारिश की है जो भारतीय इतिहास में प्रथम और एक अनूठा प्रयास होगा। यह राष्ट्रीय मंच विद्यालयी एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा नवीन ज्ञान व अनुसंधान के आधार पर प्रभावी कार्यो के लिए रणनीतियां बनाने के लिए विचार-विमर्श का केंद्र बनेगा। NETF द्वारा संस्थागत क्षमता और सतत सृजन को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं, उद्यमियों तथा प्रौद्योगिकी को उपयोग में ला रहे व्यक्तियों के विचारों से लाभान्वित होने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन पर बल दिया गया है। यह प्रयास प्रौद्योगिकी आधरित शिक्षा की वर्तमान समस्याओं, उनके हल ढूढ़ने तथा अनुसंधान एवं नवाचार की नई दिशाओं को स्पष्ट करेगा जिससे निश्चित रूप से ही शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने का पथ प्रशस्त होगा।

वर्तमान महामारी संकट के समय हम प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण-अधिगम को एक वैकल्पिक या प्रतिस्थापित प्रणाली के रूप में देख रहे हैं परंतु यदि हम चाहते है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करे तो आवश्यकता है कि हमें प्रौद्योगिकी को एक विकल्प के रूप में न देखकर एक

सतत सहायक तकनीकी (Continuous Assistive Technology) के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य न केवल शिक्षण-अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है अपितु यह शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन, प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित बनाने हेतु शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, शैक्षिक पहुँच का विस्तार करने आदि की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 ने उपर्युक्त नई वास्तविकताओं तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ICT आधारित व्यावहारिक पहलुओं के अनुकूलन और विस्तार का समर्थन कर एक उन्नत एवं सशक्त भारत की नींव रखी है।

भारत विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालक के ज्ञान का सृजन उसकी मातृभाषा में ही अधिक सरल एवं प्रभावी तरीके से हो सकता है, इस तथ्य के आलोक में वर्तमान भारतीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी शिक्षा को बाल केंद्रित बनाते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओ में सॉफ्टवेयर विकास की सिफारिश करती है। यह सार्थक प्रयास सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए एक सराहनीय कदम होगा तथा भारत की सांस्कृतिक और भाषायी विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने वाला प्रतीत हो रहा है जो प्रत्येक भारतीय के लिए हर्ष व गौरव का विषय है।

आज इंटरनेट के क्रांतिकारी बदलावों ने भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को खतरनाक स्थिति में खड़ा कर दिया है, जहाँ हम इन तीव्र और युगांतकारी परिवर्तनों का सामना करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे है। 1986/1992 में आई शिक्षा नीति के लिए भविष्य के आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन था कि 30-35 वर्ष पश्चात इंटरनेट के क्रांतिकारी प्रभाव भारत को वर्तमान प्रतिस्पर्धा होती दुनिया में पीछे छोड़ देंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने नवीन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को औपचारिक रूप से स्वीकार कर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के विस्तार की घोषणा की हैं जिसके अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमता के संदर्भ में कोर कृत्रिम बुद्धिमता अनुसंधान, एप्लिकेशन आधारित अनुसंधान का विकास तथा स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक संकटों की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानों के प्रयासों को प्रारंभ करने पर बल दिया गया है जो भारत के चहुमुखी विकास के दृष्टिकोण को उजागर करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को अंगीकार करती है। शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन शिक्षा में मूल्यांकन, ई-कंटेंट की गुणवत्ता तथा ऑनलाइन शिक्षा की हानियों जैसे विषयों के मूल्यांकन के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNOU आदि उपर्युक्त एजेंसियों की पहचान कर पायलट अध्ययन की सिफारिश की गई है जो प्रौद्योगिकी एकीकरण के लाभों को विस्तारित करने तथा हानियों को कम करने में एक उपयुक्त एवं अनुकूल कदम सिद्ध होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा शिक्षार्थियों की प्रगति जॉच के लिए मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा आदि के विस्तार पर बल दिया गया है जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए संरचित, समृद्ध और उपयोगकर्ता अनुकूल सेट विकसित किए जाएंगे जो निश्चय ही ऑनलाइन शिक्षण अधिगम की यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।

ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शिक्षार्थियों तथा शिक्षकों के लिए ऐसी डिजिटल रिपोजिटरी तैयार की जाएगी जो पहली बार ऑनलाइन शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में दृष्टिगत होगी। इसमें विभिन्न कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स, सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आदि से संबंधित सामग्री होगी। ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि डिजिटल रिपोजिटरी की सामग्री की प्रभावशीलता और गुणवत्ता आकलन के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक रेटिंग प्रणाली होगी जिससे ई-सामग्री की उपयुक्तता को मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों के साथ लयबद्ध करके देखा जा सकेगा जो स्वंय में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं नवीनता का सूचक है। इसके अंतर्गत मनोरंजन आधरित

विभिन्न भारतीय भाषाओं में अधिगम ऐप्स भी बनाए जाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ठोस रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा का लाभ डिजिटल कंप्यूटर उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करके ही उठाया जा सकता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा मौजूदा जनसंचार माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो आदि का उपयोग प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर करने की बात की गई है जिसके द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का विभिन्न भाषाओं में 24x7 उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यवहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव के समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था की जाएगी जिसके अंतर्गत दीक्षा, स्वयं और स्वयंप्रभा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान शिक्षा नीति की यह सिफारिश डिजिटल प्लेटफार्म में शैक्षिक अवसरों की समानता को संबोधित करते हुए भारत केंद्रित शिक्षा का साक्षात्कार कराती है।

यद्यपि भारत जैसे विविधता युक्त तथा विशाल क्षेत्रफल आधारित देश में सार्वजनिक, अंतर संचालित तथा खुले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और प्रवेश करना एक प्रमुख चुनौती है जिसे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्लेटफार्म तथा पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा उपयोग कर कम किया जा सकता है, इससे प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों की उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सुनिश्चितता सिद्ध होगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा तथा शिक्षण-अधिगम पक्ष में मूल्यांकन तथा आकलन पक्ष के सुधार पर स्पष्ट शब्दों में जोर दिया गया है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आगे कदम बढ़ाते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख), स्कूल बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आदि चिह्नित निकायों द्वारा ऑनलाइन मूल्यांकन रूपरेखा के निर्धारण व क्रियान्वयन का पक्ष रखती है जिसमें न केवल मानकीकृत मूल्यांकन सम्मिलित होगा अपितु ऑनलाइन माध्यम में विद्यार्थियों की दक्षता पोर्टफोलियो, रूब्रिक तथा मूल्यांकन विश्लेषण के डिजाइन का समावेशन महत्वपूर्ण है।

सीखने-सिखाने में तकनीकी के समावेशन का यह कतई अर्थ नहीं है कि हम परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने सीखने की सार्थकता को दरकिनार कर केवल प्रौद्योगिकी पर आधारित हो जाएं। तकनीकी का शिक्षा में एकीकरण शिक्षा को मनोरंजक, सरल और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है न कि शिक्षक के पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन के रूप में। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मिश्रित अधिगम उपागम ने अपना स्थान शिक्षण अधिगम में सुनिश्चित किया है। हाल ही में किए गए शोधों तथा स्वयं लेखक द्वारा हाल ही में किए गए शोध के परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिश्रित अधिगम उपागमके द्वारा सीखने सिखाने के प्रति तत्परता तथा उपयुक्त प्रत्यक्षण प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षण-अधिगम में मिश्रित अधिगम की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा अधिगम में विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल्स की सिफारिश करती है, जो आज के बदलते औद्योगिक परिवेश की वांछित मांगों को पूरा करने के लिए नितांत आवश्यक है। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है- शिक्षकों का उपयुक्त प्रशिक्षण शिक्षकों को उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री का सर्जन करने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा ऑनलाइन परीक्षा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार नेटवर्क व बिजली की समस्या तथा अनैतिक प्रथाओं को रोकने संबंधी कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कर नवीन उपायों को खोजा जाएगा, ऐसा इस शिक्षा नीति का ध्येय है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को एक नवीन दिशा देकर सशक्त भारत का निर्माण करने की आधारशिला रखने में समर्थ है।

एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

जयतु वचन रचना अति नागर

डॉ. मनोज कुमार राय

हर्षवर्धनोत्तर काल से ही एक खास किस्म की मानसिक जकड़बंदी से ग्रस्त यह देश रूढ़ियों और मृत परम्पराओं का देश बन गया था। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है । एक सौ ग्यारह वर्ष पूर्व पराधीन भारत के दो अप्रतिम शिल्पकारों-महात्मा गांधी और आनंद कुमारस्वामी ने पहली बार शिक्षा में 'भारत और भारतीयता' की बीजमुष्टि का अपनी कालजयी कृतियों-'हिन्द-स्वराज' और 'एसेज इन नेशनल आइडियलिज़्म' के जरिये उसकी समग्रता का एक खाका खींचा था। तब से लेकर आज तक उनकी अनामिका-दृष्टि को पकड़ने की कोशिश जारी है। 1947 में आजादी मिलने के साथ ही शिक्षा को लेकर चिंतित सरकारों ने अनेक आयोग गठित किए और उनके द्वारा प्राप्त सुझावों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। लेकिन भीमकाय देश में उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए जिस इच्छा-शक्ति या संसाधन की जरूरत थी, वह शायद अब तक की सरकारों के पास नहीं थी। यद्यपि उनके द्वारा किए गए कार्य न केवल सराहनीय हैं अपितु 'मत्स्य यंत्र' (कुतुबनुमा) भी हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देश का भाग दो जो उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, के अनुच्छेद 17 से लगायत 19 तक में अनुसंधान,नियामक प्रणाली और शासन-नेतृत्व के बारे में चर्चा की गई है। यह दुःखद ही रहा है कि जहाँ हमारी निष्ठा गांधी-कुमारस्वामी की पौरूषशील दृष्टि में होनी चाहिए थी, वह वहाँ न होकर दिल्ली के बहादुरशाह जफर मार्ग के 'दो-बीघे जमीन' पर स्थित जड़वत एक खास 'कुर्सी' पर जाकर टिक गई है। समय चक्र के साथ इस 'कुर्सी' ने अनेक प्रकार की अजीब और प्रतिरोधी शक्तियां हासिल कर ली हैं जो अक्सर विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और परिनियमों के स्पिरिट के खिलाफ चलती हैं। प्रायः इस 'कुर्सी' की कार्यवाहियों से विश्वविद्यालयों की स्वतंत्र सोच और कार्य में बाधा आती रही है। वर्षों के सड़ांध ने हालात इतने खराब कर दिये हैं कि हर छोटी-छोटी बातों के लिए जड़वत 'कुर्सी' का मुंह जोहना पड़ता है ।

यह एक तथ्य है कि विश्वविद्यालय जीवन के अंग-प्रत्यंग को संस्कार देते हैं। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के साथ ही नियामक तंत्र में काफी परिवर्तन किए गए हैं। इसके पहले 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने ऐसी कई संस्थाएं बनाई थी जिससे नियामक तंत्र कहीं अधिक सघन और जटिल हो गए थे । एक समस्या संस्थाओं की कार्यप्रणाली में दोहराव की थी । उच्च शिक्षा संस्थानों को कई बार 'वन विंडो क्लीयरेंस' न मिलकर एक ही कार्य को विभिन्न नियामक संस्थाओं के अलग-अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अब सभी प्रकार की नियामक प्रक्रियाएं एक संस्था के भीतर ही कार्यान्वित होंगी। इस नाते आयोग को चार विभिन्न आयामों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आयाम राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद के रूप में सामने आया है। यह उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली के लिए एक संगठित संस्थान के रूप में कार्य करेगा। परिकल्पना है कि वित्त-सुशासन-स्वायत्तता- पारदर्शिता को ठीक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए इसकी प्रकृति रोटी-दाल जैसी कुछ नरम-गरम होगी। इसका दूसरा हस्तक्षेप राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के रूप में सामने आया है जो एक अधिप्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार उच्च शिक्षा वृत्ति परिषद सभी वित्तीय और उससे जुड़ी प्रणाली की देखरेख करेगा। अंत में सामान्य शिक्षा परिषद स्नातकों के लिए विद्या और कौशल जैसी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके उनके लिए क्रेडिट, समतुल्यता आदि जैसे मुद्दों के लिए सुविधाजनक मानदंड स्थापित करने में सहायक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई सारी प्रोफेशनल बाडी को भी उनके कार्य व्यवहार के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उनके द्वारा किए जाने वाले योगदानों के लेखा-जोखा को संज्ञान में लिया गया है। इस नाते उच्च शिक्षा नियामक प्रक्रियाओं और संस्थानों में 21 वीं सदी की मान्यता और आवश्यकताओं के अनुसार संस्थानों की प्रकृति और प्रक्रियाओं में बहुत समय से अनिवार्य हो चुके परिवर्तन को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति

ने एक कारगर कदम उठाया है।

एक महत्वपूर्ण विषय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रभावोत्पादक संचालन और नेतृत्व को लेकर है। इस ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में 'बोर्ड आफ गवर्नर्स' बनाना प्रस्तावित किया है। यह उपागम पहले से ही विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थानों तथा एक सीमा तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कारगर तरीके से सफल रूप में कार्यशील भी है। जिस औपनिषिदिक भाव की परिकल्पना यहाँ की गई है वह निश्चित तौर पर बोर्ड आफ गवर्नर्स के अन्तर्गत शैक्षणिक और बौद्धिक क्षेत्रों के विभिन्न विद्वान संस्थानों को अपनी योग्यता और अनुभव से लाभान्वित करने में सक्षम होंगे। यह एक सच्चाई है कि देश को राजनीति के बाहर जाकर इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति और समाज में पहचानना होगा। प्रस्तुत शिक्षा नीति में इस दिशा में ईमानदार कोशिश की प्रतिध्वनि दिखाई दे रही है। बोर्ड आफ गवर्नर्स तथा उसके माध्यम से समर्पित विद्वानों और अपने कार्य क्षेत्रों के जाने पहचाने जन नेताओं का विश्वविद्यालय से जुड़ना उच्च शिक्षण परिसरों को समुदाय से जोड़ने में सहायक होगा। विगत कुछ वर्षों में यह निरंतर अनुभव किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की चहार दीवारी अक्सर समुदाय के साथ कोई स्पष्ट संवाद स्थापित करने में असफल रही है। बोर्ड आफ गवर्नर्स के तर्ज पर ही विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद और कोर्ट की व्यवस्था तो थी लेकिन इसमें विश्वविद्यालयों की आंतरिक ध्वनि अधिक सुनाई देती थी जो जन प्रश्नों से अछूती थी। यह आशा की जा सकती है कि समुदाय के प्रतिनिधि जब विश्वविद्यालयों के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे तो यह एक नवीन खुलापन लेकर आएगा। यही सही देशात्म-बोध होगा जो सही देशभक्ति को जन्म देगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा के प्रति भी गंभीर है । यह व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधानों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के पक्ष में है। उदाहरण के लिए कृषि और सहायक क्षेत्रों में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर विश्वविद्यालय प्रतिभागिता के नाते उनका साझा नौ प्रतिशत है लेकिन प्रवेश के नाते संख्या एक प्रतिशत के ही आसपास होती है। इस अंतर्विरोध के निवारण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशिष्ट विश्वविद्यालयों के निर्माण की प्रस्तावना की गई है। यानि कृषि विश्वविद्यालयों के साथ-साथ कानून अध्ययन, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए समर्पित विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। स्पष्ट रूप से शिक्षा में ऐसी विशिष्टता छात्रों के कौशल और व्यवसाय में उनकी सकारात्मक प्रतिभागिता को नए शिखर पर ले जाएगी। विभिन्न प्रकार के आयोगों और प्रोफ़ेशनल संस्थाओं की कार्यसीमा तय होने से यह आशा बंधती है कि इससे शिक्षा के वाणिज्यीकरण और बाजारीकरण पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। इसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से अलग होकर मुनाफे के इतर अपनी सेवाएं प्रदान करने को प्रेरित किया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यह एक महत्वपूर्ण बात है।

यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि औपनिषिदक भावनाओं से युक्त राष्ट्रीय शिक्षाा नीति 2020 ने जिस एक अतिव्यापी और एकमात्र एजेंसी- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद के निर्माण को मंजूरी दे दी है, वह नए नियामक निकाय के रूप में अपनी महत्वाकांक्षा के मामले में बहुत अधिक भी है। जिस तरह से इसकी परिकल्पना की गई है और यदि वह बनी रहती है तथा सगुण रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है तो एजेंसी के कार्यों के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है । यदि यह पिछले दशकों में बहादुरशाह जफर मार्ग की पुरानी 'कुर्सी' की तरह लड़खड़ाती है,तो फिर तुलसीदास को याद करते हुए यही कहना होगा-'देवन्ह तके मेरु गिरिखोहा' ।

अध्यक्ष, अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : लालयेत् पंचवर्षाणि

डॉ. भरत कुमार पंडा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वह शिक्षा नीति है जिसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को धूलिसात् करने हेतु मैकाले द्वारा निर्मित शिक्षा प्रणाली को उत्तर देने का सामर्थ्य है। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो 1835 के बाद यह प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें 'राष्ट्र' शब्द सर्वार्थ में भारत एवं उसकी समृद्ध संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है।

शिक्षा एवं समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। शिक्षा समाज अनुकूल एवं समाज पोषित होनी चाहिए। समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब व्यवस्था है। कुटुंब ही वह संस्था है, जो स्वायत्त समाज एवं सुखी-समाज का निर्माण, भारतीय परंपराओं के खंडित न होने एवं उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखने के दायित्व का निर्वहन करता है। कुटुंब के इस रचनात्मक स्वभाव ने समाज को चिरंजीविता प्रदान की है। शिक्षा जीवन से संबंधित है, भारतीय दृष्टि में जीवन जन्म से है। शिक्षा भी जन्म से होना अपेक्षित है। इसी शिक्षा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'लालयेत् पंचवर्षाणि' के रूप में कहा गया है जिसके अंतर्गत क्रमशः गर्भाधान, गर्भावस्था, चित्त सक्रियता, ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता से अनुभव, कर्मेन्द्रियों की सक्रियता, कर्म सिद्धांत, सद्‌गुण सदाचार का विकास आदि बाल शिक्षा का लक्षित विकास है जो मुख्यतः कुटुंब व्यवस्था पर आधारित है।

अतः इस संदर्भ में वर्तमान शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के कुछ विचारणीय सूत्र का निर्माण किया जा सकता है। विश्व की सबसे प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा में भी गुरुकुल से लेकर आश्रम, विद्यापीठ एवं एकल शिक्षक विद्यालय पद्धति तक परिवर्तन दिखते हैं परंतु सभी में अधिष्ठान सदैव भारतीय जीवन दर्शन एवं जीवन पद्धति ही रहा है। कुछ बिंदु जो बाल शिक्षा के क्षेत्र में देश में स्वीकृत थे एवं वर्तमान शिक्षा-नीति में भी है। यथा-

क) बालक को 5 वर्ष की आयु तक माता-पिता से दूर नहीं होना चाहिए।

ख) 5 वर्ष तक पालन-पोषण लाड़-प्यार से करना चाहिए।

ग) विद्यालय में औपचारिक पद्धति से गंभीरता के साथ विद्यार्जन करना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अंतर्गत इन सभी बातों को युगानुकुलता के अनुसार रखा गया है, परंतु वर्तमान प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव से कई सारी चुनौतियों का अंदेशा लगाया जा सकता है।

चुनौतियां

भारत में आज जो शिशु शिक्षा की व्यवस्था है, वह पश्चिमी देशों से आयात की गई व्यवस्था है। मांटेसरी की यात्रा के बाद ही भारत में शिशु शिक्षा का विस्तार हुआ। एक ओर शिशु शिक्षा के लिए मांटेसरी, के.जी. नर्सरी आदि नामों को हम अपना लेते हैं परंतु इसमें निहित संकल्पना को नहीं समझते। हम विद्यालय की भारतीय अवधारणा के अनुसार शिशु विद्यालय में भी औपचारिक शिक्षा ही लागू कर देते हैं। 5-6 वर्ष की आयु में जो पढ़ाया जाना चाहिए, वह ढाई से तीन वर्ष से आरम्भ कर देते हैं साथ में वही बस्ता, पुस्तकें, गृहपाठ, परीक्षा सभी पर लागू कर देते हैं। बालवाड़ी, विकासवाड़ी, आंगनवाड़ी आदि भारतीय नामों के साथ मूलाधार के रूप में मांटेसरी पद्धति को स्वीकार किया गया है जिससे बालक के विकास की सारी प्रक्रिया बाधित हो रही है। विद्यालय में सब कुछ अस्वाभाविक होने के कारण जीवन से समन्वय का अभाव रह जाता है। इस अनावस्था के कारण समग्र जीवन विकास की जो नींव है वह अनेक अर्थों मे अपरिपक्व रह जाती है। इस प्रकार की चुनौतियां पूर्व की बाल शिक्षा में थी और आगे भी संभावित लग रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के प्रथम खंड में ही प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा के संदर्भ में दिग्दर्शन किया गया है। जिसमें 1.3 एवं 1.6 में पाठ्यक्रम, 1.2 में प्रक्रिया, 1.4 एवं 1.7 में प्रशिक्षण 1. 5 में सार्वभौमिक योजना की नीति के संदर्भ को स्पष्ट

किया गया है। जिसका क्रियान्वयन योग्य तरीके से होना आवश्यक है, जिससे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो, क्रियान्वयन का लघु स्वरूप अधोप्रस्तुत है-

क्रियान्वयन

शिक्षा शब्द आते ही पाठ्यक्रम का विचार होने लगता है। पाठ्यक्रम सुनते ही हम गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को याद करते हैं। हम शिशु-शिक्षा में भी गणित, विज्ञान, भाषा आदि संकल्पनाओं तथाकथित गीत, खेल द्वारा पाठ्यक्रम बना लेते हैं। परंतु वास्तविक रूप से चरित्र निर्माण एवं जीवन की घनिष्ठता का अनुभव ही शिशु-शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जीवन घनिष्ठता के अनुभव का विस्तार शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक तक होना चाहिए। अर्थात् रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि के अनुभवों के साथ हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, सूर्य प्रकाश आदि का सीधा संबंध वृक्ष, वनस्पति, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, नदी, झरने, जंगल, पहाड़ आदि की केवल सूचना या जानकारी नहीं अपितु उससे बच्चे का जीवंत संबंध जोड़ना आवश्यक है। इसी दृष्टि से बिल्ली मौसी, चंदा मामा, हाथी दादा आदि कहना बहुत अर्थपूर्ण है। आसपास जड़, चेतन, सृष्टि को जीवंत तथा मानवीय बनाकर उसके केंद्र में बालक को रखकर संपूर्ण सृष्टि के साथ संबंध जोड़ना शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन विषयों के क्रियान्वयन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है-

क) जीवन घनिष्ठता के अनुभव की प्राप्ति की दृष्टि से क्रियान्वयन

ख) संस्कार एवं चरित्र की प्राप्ति की दृष्टि से क्रियान्वयन

ग) शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के विकास के संदर्भ में क्रियान्वयन

जीवन का घनिष्ठ अनुभव

जीवन घनिष्ठता के अनुभवों को प्राप्ति की दृष्टि से किए जाने वाली क्रियाओं के स्वरूप को कुछ इस तरह छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है-

1. पंच भूतों का परिचय एवं ज्ञानेंद्रियों से मन, बुद्धि, आत्मा तक इनका संबंध

   मिट्टी - मिट्टी से खेलना एवं गड्ढे में मिट्टी भरना।

   पानी - स्नान करना, पानी भरना एवं पानी से खेलना।

   हवा/वायु- फूंक मारना एवं मिट्टी से बचने के लिए पंखा करना।

   अग्नि- धूप-छांव का खेल खेलना एवं ठंड के मौसम में धूप में बैठना।

   आकाश - बादल देखना, डिब्बा खाली करना और भरना।

2. सृष्टि के साथ संबंध - सृष्टि के पदार्थ, तद्घटित घटनाओं के स्वरूप, स्वभाव आदि का ज्ञान प्राप्त करना।

   चीनी, नमक, कंकड़-पत्थर आदि का घुलने न घुलने का गुणधर्म।

   काँच, लकड़ी की पारदर्शिता एवं अपारदर्शिता का स्वभाव।

   पानी में कुछ पदार्थों का डूबने और तैरने का स्वाभाव।

3. कला आस्वाद -

   संगीत सुनना, नृत्य देखना, चित्र का अवलोकन करना आदि

4. सजीव सृष्टि के साथ परिचय -

   पौधे को पानी देना, चिड़िया को दाना देना, गौमाता को घास देना एवं पेड़ की पूजा करना।

   पक्षियों का चित्र बनाना।

5. मानवीय सामाजिक पहलू -

   दैनंदिन व्यवहार झाड़ू-पोछा लगाना, भोजन-परोसना, अपने सामान को ठीक जगह में रखना।

मानव स्वभाव - मानव स्वभाव दर्शाने वाले चित्र को देखना, विभिन्न परिस्थितियों की प्रेरणा से घर एवं बाहर के समाज को समझना (कूड़ादान में कूड़ा डालना, पूजा घर में पूजा, टूटे खिलोने को ठीक करने का प्रयास)

ख) संस्कार एवं चरित्र -

बचपन की ही आयु, चरित्र निर्माण एवं संस्कार-क्षम कराने के लिए उपयुक्त आयु है। इसी समय बालक का चित्त सर्वाधिक सक्रिय रहता है। बाल शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार एवं चरित्र निर्माण का क्रियान्वयन अधोलिखित पहलुओं के द्वारा किया जा सकता है-

1) पूर्वजों का स्मरण, उन पर श्रद्धा एवं उनसे प्रेरणा -

शिवाजी, तिलक, सुभाष एवं लक्ष्मीबाई आदि

का नारा देना।

हमारे पूर्वज महापुरुष (शूरवीर, ज्ञानी, कलाओं से दक्ष, त्यागी, सेवाभावी, भक्त आदि) से प्रेरणा प्राप्त करना।

2) संस्कृति परिचय एवं उससे प्रेरणा -

व्रत, उपवास, पर्व, त्यौहार, रीति-रिवाज, जीवन दृष्टि, हमारे धर्म ग्रंथ, काव्य, तीर्थ स्थल, नदियां, भूमि, पर्वत आदि का हम पर उपकार है। इन सब बातों से कृतज्ञ-भाव से जुड़ना।

3) सद्गुण सदाचार का विकास करना -

जिज्ञासा, करुणा, निस्वार्थता, परोपकार, तपस्या, भक्ति, समर्पण, सादगी, सत्य, अहिंसा, संयम आदि भावों का आचरण।

4) कृतिशील देशभक्ति -

पर्यावरण सुरक्षा, प्रकृति प्रेम, बिजली पानी का अपव्यय नहीं करना, समरसता, स्वदेशी का व्यवहार एवं भूमि के प्रति श्रद्धा आदि के अनुकूल वातावरण।

ग) क्षमता विकास -

जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भगवत-प्राप्त क्षमताओं का विकास किया जाना आवश्यक है। क्षमताओं के विकास हेतु क्रियान्वयन का स्वरूप अधोलिखित है-

1) शारीरिक क्षमताएं हाथ, पैर, वाणी आदि की क्षमताएं - हाथ पकड़ना, खींचना, धक्का देना, दबाना, उठाना, चित्र बनाना, गांठ बांधना।

चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, छलांग लगाना, उतरना, संतुलन बनाना।

वाणी - बोलना, चिल्लाना, संगीत गायन।

2) मानसिक क्षमता - भावों का अनुभव करना एवं संतुलन करना।

3) बुद्धि की क्षमताएं - स्मृति, धारणा, परीक्षण, तुलना एवं संश्लेषण आदि का करना।

4) चौत्तसिक प्रेम, आनंद, सौंदर्य बोध आदि भावों को विकसित करना।

इसी प्रकार क्रियान्वयन के कई स्वरूपों का विचार कर राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 के महनीय उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। विचार करते समय बालकों के मानसिक पक्षों पर झुकाव एवं उनकी प्रकृतिगत लक्षणों के साथ भारतीय संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा करने से बालक के कल्पनातीत विकास की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। यह कार्य विद्यालय के साथ माता-पिता तथा घर के सभी लोगों का है। इस कारण से इसका पाठ्यक्रम गणित, भाषा एवं भूगोल आदि से भिन्न ही अपेक्षित है।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

उपस्थिति नहीं उपलब्धि होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कसौटी

डॉ. ऋषभ कुमार मिश्र

विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रियागत विशेषताओं के संदर्भ में पूर्व की शिक्षा नीतियां आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ावा देने, इन दोनों कार्यों में आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखती थी। इसके साथ ही बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियों पर भी लगातार बल दिया गया। शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता की दिशा में शिक्षा का अधिकार कानून महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध हुआ। इसके द्वारा विद्यालयी शिक्षा की सुविधा और संसाधन हर बच्चे के मौलिक अधिकार में शामिल हो गया। परिणामस्वरूप बच्चों की विद्यालयी नामांकन दर में सकारात्मक वृद्धि हुई। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग के लिए अवसरों की उपलब्धता की बाधा दूर हुई। इन प्रयासों के बाद भी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर हुए अध्ययनों और सर्वेक्षणों में पाया गया कि बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं लेकिन वे स्तरानुसार सीख नहीं रहे हैं। यहाँ सीखने का आशय पढ़ने, लिखने और गिनने की उस आधारभूत क्षमता से है जो उच्चस्तरीय अधिगम और चिंतन की नींव है। इसी संदर्भ में 'असर' सर्वेक्षण, एन.सी.ई.आर.टी. के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और नीति आयोग के प्रतिवेदनों में उल्लेख है कि बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कमजोर है। विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत भी बताते हैं कि इस आधारभूत क्षमता के संवर्धन के बिना शिक्षक और व्यवस्था का हस्तक्षेप भी अपेक्षानुकूल परिणाम नहीं देता है। इसी तरह समाजशास्त्रीय अध्ययन भी बताते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता को न सीखने का नुकसान भविष्य में सफलता और सामाजिक गतिशीलता दोनों को प्रभावित करता है। बच्चों के विद्यालय छोड़ने या निम्न उपलब्धि के साथ विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण न होने में साक्षरता संबंधी दक्षता का अभाव एक महत्वपूर्ण कारक है।

इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को अपरिहार्य मानती है। यह लक्ष्य रखती है कि वर्ष 2025 तक सभी बच्चे बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान की योग्यता अर्जित कर लेगें। यदि कालाक्रमानुसार देखें तो नीति के क्रियान्वयन के समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में यह सबसे पहले प्राप्त होने वाले लक्ष्यों में से एक है। हो भी क्यों न? इस लक्ष्य की प्राप्ति के बिना नीति को साकार करने में स्वाभाविक अवरोध पैदा होगें। राज्य द्वारा विद्यालयी शिक्षा में हस्तक्षेप का यह महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है जो इस नीति को विशिष्ट बनाता है। इस बिंदु को मैं एक विशेषण के रूप में देखकर क्रिया के रूप में देखता हूं जो प्राथमिक शिक्षा क्या है? कैसे दी जाए? इसके प्रभावशीलता का आकलन कैसे हो? के लिए कसौटी है। आलोचकों का एक बड़ा वर्ग जो इस नीति के प्रति संदेह रखता है यह भूल जाता है कि 'गुणवत्ता', 'समानता' और 'अवसर की उपलब्धता' अर्थकारी हो इसके लिए सीखने के अनुभवों को साक्षरता और अंक ज्ञान जैसी कुशलताओं के माध्यम से भावी अधिगम का आधार बनना होगा। यह आधार ही शिक्षा के अधिकार कानून की वास्तविक सार्थकता होगी। यह आधार ही बच्चों को विद्यालयी ज्ञान, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, सृजनात्मक चिंतन और विवेकपूर्ण फैसले को लेने की दिशा में अग्रसर करेगा।

वर्तमान में सीखने में असफलता सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक सामग्रियों, पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय सुधारों के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान नीति का निहितार्थ है कि शिक्षा और सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभवों और ज्ञानेन्द्रिय सक्रियताओं तक सीमित न रहे बल्कि उनका अनुभव अर्थ-निर्माण का आधार बने। इस हेतु सीखने की तत्परता के साथ सीखने की आधारभूत अपेक्षाओं की भूमिका पर बल दिया गया है। बच्चों की तत्परता का तात्पर्य केवल रुचि या खेल आधारित विधियों से नहीं है बल्कि उन्हें निर्देशित सहायता उपलब्ध कराना है जिससे विद्यार्थी

दैनंदिन अनुभवों को सीखने की आधारभूत इकाइयों - साक्षरता और संख्या ज्ञान के रूप में आत्मसात कर सके। नीति का यह पक्ष विद्यार्थियों के रोजमर्रा के अनुभवों, भाषा और संप्रेषण की क्षमताओं पर विश्वास करता है। इनके आधार पर विद्यालयी विषयों को सीखने के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक संक्रियाओं और परा संज्ञानात्मक चिंतन की नींव डालना चाहता है।

शिक्षा नीति के इस पक्ष की क्रियान्वयन संबंधी संस्तुतियों को देखिए। पहली संस्तुति है- विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वंचित क्षेत्रों, सघन विद्यार्थियों वाले विद्यालयों को प्राथमिकता दी गयी है। अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में स्थानीय समुदाय और स्थानीय भाषाओं को जानने वाले अध्यापकों को प्राथमिकता देने का सुझाव विद्यालयों में शिक्षक-विद्यार्थी संबंध को बदलने की दिशा में दूरगामी परिणाम देगें। आपदाकाल जैसी स्थितियों में शिक्षक की समुदाय से निकटता को सुगम करने के लिए यह सुझाव एक बड़ी उपलब्धि सिद्ध हो सकता है। यह कदम बच्चों की शिक्षा के साथ शिक्षण व्यवसाय में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। नीति की इस संस्तुति के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसी दिशा में सक्रिय पहल की प्रतीक्षा है। वस्तुतः इसके बिना नीति अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएगी।

शिक्षा नीति 2020 में स्वीकृति है कि साक्षरता का आशय निश्चित अवधि की कक्षाओं में अनुदेशन से नहीं है। इसके लिए विद्यार्थियों को सार्थक संलग्नता देने का सुझाव है। इनमें पढ़ने की आदत और सुविधा के लिए ग्राम स्तर पर पुस्तकालय, स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्रियों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण अनुवाद, राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकों के पढ़ने-पढ़ाने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अभियान स्वागत योग्य कदम हैं। ग्रामीण और वंचित परिवारों के संदर्भ में प्रायः देखा जाता है कि प्रिंट सामग्री का अभाव, परिवार में साक्षरता की सामग्री का अभाव आदि समस्याएं बच्चों के अवबोध और अनुप्रयोग को बाधित करती हैं। विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें कक्षा की जरूरतों को पूरा करती हैं लेकिन स्वतंत्र अध्ययन, चिंतन और तर्क के लिए पूरक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये सामग्रियां बच्चे में पढ़ने, लिखने, विचार करने और संप्रेषण की आदत का विकास करती हैं। एक तरह से देखा जाए तो खेल-खेल में सीखने का माध्यम बनती हैं। इस दिशा में नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। एन.सी.ई.आर.टी. ने भी साक्षरता कौशलों पर आधारित 'बरखा' श्रृंखला आरंभ की है। अब इस आयाम को नीतिगत स्वीकृति मिलने के बाद इन प्रयोगों का व्यापक प्रसार होगा।

प्रस्तावित नीति में स्वास्थ्य और पोषण को स्थान देते हुए उनकी समुचित पूर्ति पर बल दिया गया है। यह पूर्ति वस्तु और सेवाओं दोनों रूपों में होगी। इसे ध्यान में रखते हुए नीति प्रशिक्षित पेशेवरों, मार्गदर्शकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। भविष्य में नीति के इस पक्ष को क्रियान्वित करते हुए विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विद्यालय के शिक्षकों के साथ इन पेशेवरों की भूमिका योजना के क्रियान्वयन को सुगम करें।

शायद ही कोई हो जो विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता के बाधक- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को दूर करने के लक्ष्य से असहमति रखता हो। नीति के स्तर पर स्वीकृति और सघन कार्यक्रमों का सुझाव यह विश्वास दिलाता है कि विद्यालयी शिक्षा का 'आउटकम' केवल बच्चों की उपस्थिति नहीं बल्कि उनकी उपलब्धि होगी जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करेगी।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

शिक्षा की सार्वभौमिकता : ड्रॉपआउट 'एक अवरोध'

सारिका राय शर्मा

सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 के अंतर्गत वैश्विक शिक्षा विकास हेतु सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने तथा जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को भारत द्वारा 2015 में अपनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उद्धृत आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि भारत सरकार के इस निर्णय की सफलता हेतु भारतीय अभिभावक इच्छुक हैं तथा अपने बच्चों/पाल्यों को शिक्षित करना चाहते हैं परंतु कुछ ऐसे कारक हैं जो इन बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिकांशतः कारकों पर चर्चा कर उन चुनौतियों एवं समस्याओं से निपटने के सुझावों पर भी गंभीर चिंतन कर उसे प्रस्तुत किया गया है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि यदि कक्षा 8 से 12 तक के नामांकन दरों पर ध्यान दिया जाए तो कक्षा 1 से 5 तक के 90.9% नामांकन दर (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) पर जो अति उल्लास दर्शाया गया है वह क्षणिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में एक गंभीर प्रश्न यह उठता है कि आखिर कक्षा 8 के उपरांत ऐसा क्या होता है जिससे विद्यार्थी तथा अभिभावक दोनों का मनोबल इतना क्षीण हो जाता है कि वे आगे की शिक्षा के प्रति इतने उदासीन हो जाते हैं कि हालात ड्रॉपआउट तक पहुँच जाते हैं। यहाँ दो मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

प्रथम, कक्षा 8 के उपरांत ड्रॉपआउट हुए विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या ज्यादा होना। विभिन्न दस्तावेजों एवं सर्वे अध्ययन द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि इसका मुख्य कारण विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, चहारदीवारी इत्यादि की कमी है जिसके फलस्वरूप किशोरावस्था में पहुँच चुकी लड़कियाँ या तो विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं अथवा ड्रॉपआउट हो जाती हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 में इन सभी सुविधाओं को विद्यालयों में सुनिश्चित करने का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है परंतु इसके क्रियान्वित होने के दस वर्ष बाद भी सभी संस्तुतियों को विद्यालय के स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है जो कि एक विचारणीय मुद्दा है। वहीं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले किशोर बालकों पर परिवार के भरण-पोषण का दबाव ड्रॉपआउट के मुख्य कारक के रूप में उभरकर सामने आता है (एनुअल स्टेटस ऑफ एडुकेशन रिपोर्ट 2014)।

द्वितीय, कक्षा 1 से 5 पर नामांकन दर ज्यादा होने का एक महत्वपूर्ण कारण सरकार द्वारा विद्यालयों में लागू की गई मध्याह्न भोजन योजना भी है जो न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी एक अभिप्रेरक का काम करती है। विदित है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित लोगों की संख्या जनसंख्या का 21.9% है (गरीबी के आकलन हेतु योजना आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 2011-12)। अतः ऐसे अभिभावक अपने पाल्यों के पोषण हेतु सरकारी योजनाओं पर भी निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में हम यह तो कह सकते हैं कि नामांकन संख्या बढ़ी अवश्य है परंतु यदि इसका एक कारण देश में 21.9% लोगों के पास संसाधनों की कमी है तो अवश्य ही हमें इस पर व्यापक स्तर पर चिंतन-मनन करते हुए इसके निराकरण के विषय में नीतिगत स्तर पर परिवर्तन लाने एवं ठोस कदम उठाने के लिए वचनबद्ध होना होगा। हालांकि इस दिशा में यह एक छोटा कदम ही होगा, फिर भी मध्याह्न भोजन योजना को आगे की कक्षाओं तक विस्तारित करने के विषय में भी विचार किया जा सकता है।

ड्रॉपआउट की चिंता से ग्रसित राष्ट्र में बढ़ते नामांकन दर को देखकर उत्पन्न हुई सफलता की अनुभूति में हम अक्सर एक महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी कर जाते हैं, वह है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पहलू को न सिर्फ उठाया गया है अपितु इसको सुनिश्चित करने हेतु एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित

योजना की भी परिकल्पना की गई है क्योंकि एनुअल स्टेटस ऑफ एडुकेशन रिपोर्ट 2014 तथा 2016 यह दर्शाती है कि विद्यालयों में नामांकन दर तो बढ़ी है परंतु विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की कमी है। अतः हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य मात्र से न आएँ बल्कि ज्ञानार्जन की अनुभूति से अभिभूत होकर आएँ। वे कक्षागत गतिविधियों में रूचि दिखाएँ और यह तभी संभव है जब हम कुछ आधारभूत बिन्दुओं पर ध्यान दें जैसे- प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, बाल-केंद्रित शिक्षा, गतिविधि/क्रियाकलाप आधारित शिक्षण पद्धति आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य तथा जिला स्तर पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु सिविल सोसायटी संगठन, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को विद्यालयों से जोड़ना एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। इससे उन बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाया जा सकेगा जो अमूमन विकास की मुख्यधारा का अंग बनने से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए विद्यालयी स्तर पर भी कुछ संरचनात्मक/ ढांचागत परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग पर आधारित हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिंदु 3.4 में स्थानीय भाषा में दक्ष उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मजबूत कदम की ओर भी इंगित करती है परंतु इसमें यह ध्यान देना होगा कि इसके क्रियान्वयन के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि भारत के कई ऐसे पिछड़े या आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर उनकी स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षकों को तैयार करने में समय लग सकता है। अतः तब तक इस रिक्ति को भरने के लिए भी प्रयत्नरत रहते हुए योग्य शिक्षकों को नियुक्त करना होगा जिससे वर्तमान में ड्रॉपआउट के एक कारण का निराकरण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त इस नीति द्वारा प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा को संभव बनाने हेतु सिविल समाज के सहयोग एवं नवीन शिक्षा केंद्रों की भूमिका का उल्लेख तो किया गया है परंतु यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा इस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए था। इस नीति में ड्रॉपआउट की समस्या से निपटने के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों को ट्यूटरिंग आदि के माध्यम से विद्यालय से जोड़े रखने का कदम बहुत सराहनीय है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की सहायता से ड्रॉपआउट बच्चों को जोड़ना भी इस दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगा। ऐसे बच्चे यदि विद्यालयों में वापसी करना चाहते हैं तो उनके लिए ब्रिज कोर्स (Bridge course) की सुविधा प्रदान कर उन्हें नियमित विद्यार्थियों के समतुल्य बनाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

अंत में यह कहा जा सकता है कि ड्रॉपआउट की समस्या का मूल कारण विषम सामाजिक-आर्थिक परिवेश तथा आधारभूत ढांचों का अभाव है जिसमें योग्य शिक्षकों की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है। अतः इस संदर्भ में देश, काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समग्र सुधार की आवश्यकता है जिसमें सभी को अपना सार्थक सहयोग प्रदान करना अनिवार्य है।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

विद्यालयी शिक्षा : पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र संबंधी आयाम

समरजीत यादव

नई शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की परिकल्पना करती है। इस नीति में समकालीन परिस्थितियों में शिक्षा और समाज में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव को संबोधित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षणशास्त्र और पाठ्यचर्या में सुधार करना है। विद्यालयी शिक्षा की नई संरचना (5+3+3+4) के साथ इस नीति में परिकल्पित किया गया है कि पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र द्वारा विद्यार्थियों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। साथ ही साथ उनमें देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उसके उत्तरदायित्व से भी परिचय कराया जाएगा।

स्कूल के सभी स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था की एक व्यापक चिंता रटंत शिक्षा प्रणाली से ग्रस्त होना है। शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र संबंधी सुझावों का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को रटंत प्रणाली से वास्तविक समझ और सीखना कैसे होता है? की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल संज्ञानात्मक विकास न होकर चरित्र निर्माण और इक्कीसवीं सदी के मुख्य कौशल का विकास करना है। इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र के सभी पहलुओं को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र विकास, खोज,चर्चा और विश्लेषणात्मक अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में संवादात्मक शैली को बढ़ाने पर बल देने की बात भी की गई है।

इस नीति में विद्यार्थियों के माध्यमिक स्तर पर अध्ययन को अधिक लचीला तथा विषयों के चुनाव का विकल्प देने का प्रस्ताव है। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह-पाठ्यक्रम, कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक जैसी कोई श्रेणियाँ नहीं होगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प एवं व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। शोध बताते हैं कि बच्चे घर की भाषा/मातृभाषा में अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक और उससे भी आगे संभव हो तो शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा रखने का सुझाव दिया गया है। इसका अनुपालन न केवल सार्वजनिक स्कूल बल्कि निजी स्कूल भी करेंगे। अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य-पुस्तकों को घर की भाषा/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बुनियादी स्तर से माध्यमिक स्तर तक की पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय संदर्भ की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। इसके अंतर्गत संस्कृति, परंपराएं, विरासत, रीति-रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएं, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाएगा जिससे यह यथासंभव हमारे

विद्यार्थियों के लिए अधिकतम भरोसेमंद, प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बने। भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित शामिल किया जाएगा। गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, खेल के साथ शासन, राज व्यवस्था, संरक्षण आदि विषयों के तत्वों को पूरे स्कूल के पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.एस.ई.) 2020-21 एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा तैयार करने की बात की गई है। यह पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा। हर 5-10 वर्ष में महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा एवं अद्यतनीकरण किया जाएगा।

शिक्षणशास्त्र के अंतर्गत कला और खेल का एकीकरण एक अंतर-पाठ्यचर्यात्मक दृष्टिकोण है। कला के एकीकरण में विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल देने के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया में कला का एकीकरण किया जाएगा जिससे न सिर्फ शिक्षण आनंददायी होगा बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के समावेश से विद्यार्थियों का भारतीयता से भी परिचय हो सकेगा। इस दृष्टिकोण से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। सीखने में खेलों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। विद्यार्थी खेल-खेल में अवधारणाओं को बहुत ही सहज ढंग से सीख लेते हैं। इसके लिए नीति में स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग के महत्व को स्वीकार किया गया है ताकि विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व-अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी और अच्छे नागरिक जैसे कौशलों को विकसित किया जा सके। खेल का एकीकरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ किया जाएगा जिससे 'फिट इंडिया मूवमेंट' में अनुमानित फिटनेस स्तर के साथ-साथ संबंधित जीवन कौशल को भी प्राप्त करने में मदद की जा सके।

यह नीति स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में भी बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार करती है। पाठ्यपुस्तक में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण मानी जाने वाली सामग्री को बल्कि स्थानीय संदर्भ और आवश्यकता संबंधी सामग्री को शामिल करने का सुझाव नीति में दिया गया है। विद्यार्थियों पर पाठ्यपुस्तकों की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत पर मुहैया करवाने का दायित्व स्वीकार किया गया है। यशपाल समिति (1993) ने शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट में पाठ्यक्रम और बस्ते के बोझ को कम करने का सुझाव दिया था। इससे एक कदम आगे बढ़कर इस नीति में स्कूल के पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी., स्कूलों और शिक्षकों के प्रयास को सम्मिलित करने का संकल्प लिया गया है।

किसी भी पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र के आकलन का प्राथमिक उद्देश्य सीखने के लिए होता है। आज भी हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में योगात्मक

आकलन पर ही अधिक बल दिया जाता है जो रटकर याद करने के कौशल की ही जांच करता है। नई शिक्षा नीति 2020 में रचनात्मक आकलन को लागू करने पर ज़ोर देती है। रचनात्मक तरीके से आकलन द्वारा विद्यार्थियों में सीखने और उनके विकास को बढ़ावा मिलता है। रचनात्मक आकलन एक दक्षता आधारित आकलन है जिसमें विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता की जांच की जाती है। विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन का समग्र दृष्टिकोण इस नीति की विशेषता है। उदाहरण के लिए, प्रगति कार्ड का एक समग्र (360 डिग्री) रूप, बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार, आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित मानक, मानदंड और दिशा-निर्देश के लिए 'परख' संस्था का विकास, कोचिंग संस्कृति को हतोत्साहित करने का सुझाव, देश भर में ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ हैं।

शिक्षा नीति 2020 शिक्षणशास्त्र की दृष्टि से विद्यार्थियों के अनुभव को सीखने का संसाधन बनाने का आधार बनाती है। यह शिक्षकों को नवाचारी प्रयोग करने की संभावना प्रदान करती है। इसमें प्रतिपादित समग्र दृष्टि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विद्यालयी विषयों के साथ खेल, कला और लोक ज्ञान को स्थान देना इस नीति को विशिष्ट बनाता है। निष्कर्षतः पाठ्यचर्या और कक्षा-शिक्षण को परंपरागत अर्थों और विधियों से अलग करते हुए भारतीय संदर्भानुकूल भविष्योन्मुखी दृष्टि से युक्त इस नीति का क्रियान्वयन सुखद भविष्य की उम्मीद लिए हुए है।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

स्कूल शिक्षा : शिक्षक गुणवत्ता संवर्धन

डॉ. आर. पुष्पा नामदेव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा व्यवस्था में अनेक नीतिगत बदलाव किए गए है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 (एसडीजी) के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी तारतम्य में शिक्षा के सभी क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु कार्य किए जाने हैं। इस नीति में स्कूल शिक्षा को बुनियादी आधार मानते हुए सर्वप्रथम चर्चा की गई है। जहाँ विद्यार्थियों को समता एवं समानतामूलक शिक्षा प्रदान करने के साथ उनमें बुनियादी एवं उच्चस्तरीय क्षमताओं का विकास होना आवश्यक माना गया है। जहाँ इस नीति में विद्यार्थियों को आधार माना गया है वहीं शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को केंद्र बिन्दु में रखा गया है जिससे शिक्षा प्रणाली के आधार पर हमारे विद्यार्थियों का समेकित विकास हो सके।

शिक्षकों को राष्ट्र के भविष्य निर्माता के रूप में जाना जाता है किंतु वर्तमान में अध्यापक शिक्षा एवं शिक्षक से संबंधित सभी आयामों की गुणवत्ता के वांछित विकास में ह्रास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की कार्य उत्पादकता के विकास हेतु अनेक व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनके द्वारा राष्ट्र निर्माताओं के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। शिक्षक एवं उनके कार्य के गुणवत्ता के विकास हेतु अनेक सुझाव दिए गए हैं जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार से हैं-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक भर्ती एवं पदस्थापन को विशेष दर्जा दिया गया है जिसके तहत यह प्रयास किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर सकें, इस हेतु स्थानीय विद्यार्थियों को 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कोर्स में विशेष छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इस कोर्स के बाद स्थानीय विद्यालयों में इन विद्यार्थियों को निश्चित रोजगार में शामिल किए जाने, स्कूल परिसर में आवास की सुविधा एवं आवास भत्ते में वृद्धि की अनुशंसा की गई है जिससे जिन क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी हैं उन क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। इस पहल से उत्कृष्ट शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। निश्चित ही यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने हेतु सकारात्मक पहल होगा साथ ही साथ ग्रामीण विद्यार्थियों को उनके क्षेत्र में रोजगार मिलने पर पलायन की समस्या दूर होगी। स्थानीय शिक्षकों के नियुक्ति होने पर स्थानीय भाषा में शिक्षण को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। किंतु इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्थानीयता को बनाए रखने पर वैश्विकता की अनदेखी न हो। स्थानीयता एवं वैश्विकता दोनों में तालमेल होना अनिवार्य है ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी क्षेत्र की भाँति प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके।

शिक्षक एवं समुदाय के बीच संबंध स्थापित करने हेतु शिक्षकों के स्थानांतरण पर भी रोक लगाने एवं विशेष परिस्थिति में ही स्थानांतरण की अनुशंसा की गई है। इसके द्वारा शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी एवं उनकी अभिप्रेरणा निश्चित ही प्रभावित होगी अतः इस ओर भी ध्यानाकर्षण आवश्यक है।

शिक्षकों की नियुक्ति में अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं साक्षात्कार अनिवार्य रूप में शामिल किया जाएगा। साक्षात्कार के माध्यम से स्थानीय भाषा में शिक्षण दक्षता एवं सहजता का आकलन किया जाएगा। जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। यह एक सकारात्मक पहल होगी जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में शिक्षकों का उत्कृष्ट अकादमिक स्तर होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विषयों में पर्याप्त शिक्षकों के संख्या को बनाए रखने हेतु शिक्षकों एवं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्कूल कॉम्प्लेक्स में शामिल किए जाने को कहा गया है जिसके द्वारा विद्यार्थी स्थानीय ज्ञान एवं विशेषज्ञों द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे। अतः इस नीति में स्थानीयता को विशेष स्थान दिया गया है।

विद्यालय की कार्य संस्कृति एवं वातावरण को बनाए रखने हेतु विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों एवं कर्मचारियों का एक समावेशी समुदाय बनाया जाएगा। साथ ही विद्यालय में

भौतिक संसाधन की उपलब्धता एवं उपयोग के अवसर पर ज़ोर दिया जाएगा जिसके द्वारा विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी एवं प्रभावी शिक्षण वातावरण का निर्माण हो सके। स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन, संसाधन की साझेदारी, समुदाय निर्माण, स्कूल कॉम्प्लेक्स आदि के मध्य संतुलित व्यवहार, प्रभावी सामुदायिक वातावरण के निर्माण में सहायक हो सकते हैं जिससे विद्यालय में संवेदनशील एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न नहीं किया जाएगा। इस नीति के तहत एक बहुत ही प्रभावी एवं उत्कृष्ट पहल है जिसके द्वारा अब शिक्षक अपना अधिकांश समय शिक्षण कार्य एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु उपयोग करेंगे।

इस शिक्षा नीति में सतत व्यावसायिक विकास को विशेष महत्व दिया गया है जिसमें शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष 50 घंटे का सीपीडी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने का प्रावधान है जिससे शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता का विकास हो सके। इसमें शिक्षकों, प्रधानाचार्य एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के कार्य कुशलता के विकास हेतु शिक्षणशास्त्र, नेतृत्व एवं प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा।

शिक्षकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उनके प्रोत्साहन हेतु मल्टिपल पैरामीटर्स के निर्माण की अनुशंसा की गई है जिसके आधार पर उन्हें वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति दिया जाएगा। यह पैरामीटर राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर आधारित होगा। योग्यता के आधार पर शिक्षकों के वर्टीकल मोबिलिटी को उत्कृष्ट करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके द्वारा कार्य स्थल पर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। किंतु इसके दीर्घकालीन परिणामों पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2020 को विकसित किया जाएगा। जिसमें विभिन्न रैंकों के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के अलावा निर्धारित मानकों पर वेतन वृद्धि या पदोन्नति होगी। इस हेतु मानकों के आधारों को समझने के उपरांत समीक्षा किया जा सकता है। किंतु इस विषय में कार्यकाल की अवधि या वरिष्ठता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

विद्यालयों में विशिष्ट विद्यार्थियों हेतु विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस हेतु विषय शिक्षकों एवं सामान्य शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए साथ ही सेवापूर्व शिक्षकों की तैयारी होने के बाद उनमें द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जाने की अनुशंसा की गई है। निश्चित ही इस पहल के द्वारा विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है किंतु विद्यालयों में इस हेतु उन सेवाकालीन शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जिनकी विशिष्ट शिक्षा में रुचि हो और विशेष रूप से उन शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जिन्होंने विशिष्ट शिक्षा का अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो इसके परिणाम बेहतर होंगे।

शिक्षकों में शिक्षणशास्त्र की उत्कृष्टता के विकास हेतु 2030 तक बहु विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पहल होगी साथ ही साथ शिक्षक एवं शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के भविष्य हेतु सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षण हेतु 2030 तक न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री होगी, साथ ही साथ एकीकृत बी.एड. डिग्री प्रदान करने वाले बहु विषयक संस्थान द्वारा ही द्वि-वर्षीय एवं एक-वर्षीय बी.एड. डिग्री प्रदान की जाएगी। द्वि-वर्षीय बी.एड. डिग्री हेतु विशिष्ट विषय में स्नातक की उपाधि एवं वे विद्यार्थी जिन्होंने चार वर्षीय बहु विषयक स्नातक डिग्री या पारा स्नातक डिग्री प्राप्त की हो उनके लिए बी.एड. कार्यक्रम को एक वर्षीय कार्यक्रम के रूप में भी विकसित किया जा सकता है किंतु यह कार्यक्रम बहु विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा ही संचालित किए जाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही ऐसे बहु विषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान जिनके पास दूरस्थ शिक्षा की मान्यता है वे मिश्रित एवं ओडीएल के माध्यम से बी.एड. के कार्यक्रम का संचालन कर सकते

हैं। इस बिन्दु के तहत बी.एड. कार्यक्रम की अवधि एवं प्रकृति के प्रति बढ़ती संशयात्मक स्थिति का भी निराकरण हुआ है एवं इसके द्वारा शिक्षक गुणवत्ता भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जैसे बीआईटीई, डीआईईटी एवं स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध करने की अनुशंसा की गई है। इससे स्थानीय कलाकृतियों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहन एवं सम्मान मिलेगा साथ ही साथ इन कालाकृतियों एवं शिल्पों को संरक्षण के साथ उचित स्थान भी मिलेगा। इसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था लोकल से वोकल की ओर अग्रेषित होगी।

शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नति हेतु अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स का प्रावधान रखा गया है। इसके द्वारा शिक्षकों को व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा अतः शिक्षक अपनी योग्यता एवं श्रम के अनुरूप अपना व्यावसायिक विकास समय से पूर्व कर सकेंगे।

अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षण संस्थानों को बंद करने की सिफारिश की गई है जिससे इन संस्थानों में चल रही अनियमितताओं को रोका जा सके किंतु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अध्यापक शिक्षण संस्थानों हेतु निर्मित मानकों का मूल्यांकन सख्ती एवं विशिष्ट मापदंडों के आधार पर किया जाए।

निष्कर्षतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र में शिक्षकों का गुणवत्ता संवर्धन है। जिसके तहत शिक्षकों की भर्ती, पदस्थापन, कार्य-संस्कृति, विद्यालय-वातावरण, व्यावसायिक विकास एवं उसके मानक, कैरियर-मैनेजमेंट एवं प्रगति, विशिष्ट शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण आदि विषयों पर सशक्त निर्णय लिए गए हैं। स्थानीय शिक्षकों, भाषा एवं शिल्प को इस पेशे हेतु प्रोत्साहन एवं शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास हेतु प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षकों को अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसे सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षणों के द्वारा व्यावसायिक दक्षता एवं स्थानीय मानव एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग के अवसर प्रदान कर स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता विकास में सहायक सिद्ध होगी।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

सभी के लिए अधिगम हेतु समतामूलक और समावेशी शिक्षा

धर्मेन्द्र ना. शंभरकर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाना यह इस शिक्षा नीति का मुख्य विजन है। इस शिक्षा नीति में बाल्यावस्था की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर बल दिया गया है। स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट, निरक्षरता, असमानता आदि पर समग्रता से विचार करते हुए महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं। यह नीति समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखती है। इसके लिए भौतिक और मानव संसाधन का अभाव न हो सुनिश्चित करती है। इसके साथ गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावशाली क्रियान्वयन की व्यवस्था भी अवलोकनीय है।

इस लेख में विद्यालयी शिक्षा संबंधी खंड 06 में वर्णित समतामूलक और समावेशी शिक्षा पर चर्चा की गई है। यह चर्चा आरंभ में इस स्वीकृति के साथ होती है कि यह नीति भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुकूल है। इसमें सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। नीति अपनी प्रस्तावना में ही स्पष्ट घोषणा करती है कि समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अतः यह नीति शिक्षा द्वारा लोगों के सपनों को पूरा करने उम्मीद और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। नीति की यही दृष्टि उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी है। इसका उद्देश्य यह है कि अलग-अलग सामाजिक वर्गों में विद्यालय तक पहुँचने, विद्यालय का लाभ लेने और सीखने के कार्यों में अंतर है, उसे समाप्त किया जा सके, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग के द्वारा नीति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सहित अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करती है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नीति केवल संवैधानिक वर्गों को ही लक्ष्य में नहीं रखती, बल्कि भौगोलिक रूप से दूर-दराज के इलाकों में रह रहे बच्चे जो दिव्यांग, दृष्टिबाधित, निम्न आर्थिक वर्गों के और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से संबंधित हैं। उनको भी समाहित करती है। यह नीति की विशिष्टता है कि वह इस वृहत परिभाषा के अंतर्गत प्रचलित वर्गों के साथ-साथ समकालीन परिस्थितियों जैसे- हिंसा, आपदा और प्रवसन के कारण वंचित बच्चों को भी सम्मिलित करती है।

यह नीति विभिन्न संदर्भों का उपयोग करते हुए बताती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को संज्ञान लेना अपरिहार्य है। इसमें आकड़ो का एक व्यापक आधार है। यह आधार नीति क्रियान्वयन में मदद करेगा ऐसा मूझे पूर्ण विश्वास है। इस नीति में एसईडीजी के अंतर्गत जिन समूहों के बारे में चर्चा की गई है, वह प्रमाणित स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। इनका नीति में उल्लेख और उनके लिए उचित उपाय और योजनाओं को सुझाया गया है। विद्यालयी शिक्षा संबंधी सुझावों के खंड 2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान : सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त यहाँ पर आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात की गई है। उसके सापेक्ष खंड 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम को पढ़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि नीति निर्माताओं की चिंता है कि कैसे हम वंचित वर्ग के बच्चों की आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ाएं। नीति निर्माताओं का मानना है कि इस पक्ष को संबोधित किए बिना 'शिक्षा तक पहुँच' को 'शिक्षा की गुणवत्ता' में तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इस नीति में नवाचारी उपाय सुझाए गए हैं। उदहारण के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, जैसे उपाय वंचित वर्ग के बच्चों की आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। इस नीति के अनुसार अलग-अलग राज्यों में सरकारों द्वारा साइकिल, लैपटॉप जैसे संसाधनों को प्रदान करने की नीति कारगर साबित हो सकती है। वर्तमान नीति में यह भी सुझाव दिए गए हैं कि बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने वाले संसाधन प्रदान करें। यह संसाधन बच्चों को अभिप्रेरित करने के साथ-साथ उनको शिक्षा के लिए विद्यालय में बने रहने को भी सुनिश्चित करेंगे।

इस नीति की मैं विशेष रूप से इस बात के लिए सराहना करता हूँ कि वंचित वर्ग के बच्चों को केवल संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराती है, इसके साथ साथ उन्हें अध्यापकों द्वारा सलाह देना, विशेष सलाहकारों की सेवा उपलब्ध कराना और विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करने की पहल को भी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। वस्तुतः अब तक हमने जो उपागम अपनाया है इससे हम संसाधनों के अंतराल को तो कम कर सकते थे लेकिन हमारा सामाजिक वर्गों का अंतराल ज्यों का त्यों बना रहता था। विद्यार्थियों को भविष्य में क्या करना है? विद्यालय की आवश्यकता क्या है? विद्यालय में वह कैसे समायोजित हो, यह समस्याएं भी आती थी। यह नीति इन्हें संज्ञान में लेती है। उन्हें दूर करने के लिए समुचित कदम उठाने की पहल करती है।

इस नीति में विशिष्ट शिक्षा का उल्लेख है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए दूर-दराज के इलाकों में विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में हमारे द्वारा विद्यालय शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह भौगोलिक दूरी और भौगोलिक अलगाव के समस्या के कारण असफल हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह विशिष्ट शिक्षा के विभाग बनेंगे तो इन्हें शिक्षा के क्षेत्रों में रियायतें प्रदान की जाएंगी तो शायद यहाँ पर शिक्षा का समुचित विकास हो सकें यह भी एक महत्वपूर्ण सुझाव हैं। महिला शिक्षा की दिशा में जेंडर समावेशी निधि का सुझाव भी लड़कियों को आगे आने और उन्हें शिक्षित होने में सहायता करेगी। यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि यह नीति ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की आवश्यकता भी संज्ञान में लेती है। और उनके लिए विद्यालयी शिक्षा को सुनिश्चित करने का समुचित सुझाव देती है। कई बार हम यह देखते हैं की लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं अलग होती हैं। उन्हें अलग और विशिष्ट प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यह खंड की दिशा में कार्य करेगी। इस खंड का लक्ष्य होगा की लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों की विद्यालय शिक्षा में कोई बाधा न आए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशन को व्यापक अर्थ में समझा गया है। नीति विशिष्ट वर्गों को उनके आवश्यकतों के सापेक्ष पहचानती है और तदनुसार हस्तक्षेप की योजना प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों की सार्थकता समुदाय, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से साकार होगी।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस

डॉ. शिल्पी कुमारी

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत समाहित सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्यों द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की वजह से बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल अस्तित्व में आए हैं जिनमें से कई प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों तथा भौतिक संसाधनों की भारी कमी है। कई ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जो एक शिक्षक द्वारा संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें प्रति कक्षा विद्यार्थियों की औसतन संख्या बहुत कम है। उक्त स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन तथा भौतिक संसाधनों की व्यापक उपलब्धता एक जटिल समस्या है तथा कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों के संदर्भ में यह व्यावहारिक भी नहीं है। कई स्कूलों के पास न कोई खेल का मैदान है और न ही बाल/किशोर सभा आयोजित करने तथा विभिन्न कौशलों के विकास के लिए कोई बहुउद्देशीय कक्ष है, ऐसी स्थिति में संगीत, कला, खेल-कूद जैसे महत्वपूर्ण विषय महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में स्कूलों को छोटे-छोटे समूह (पड़ोसी स्कूलों का समूह) में समेकित कर अर्द्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित करना एक अनिवार्यता है। इससे स्कूल अधिक संसाधन दक्ष तथा इसकी कार्य-प्रणाली अधिक प्रभावी और नवाचारी होगी। स्कूलों के क्रियाकलापों का समन्वयन, शासन और प्रबंधन बेहतर और विकेंद्रीकृत होगा। इस प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और पूरे देश में समान इकाइयों को व्यवस्थित करने की दिशा में स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर महत्वपूर्ण विकल्प साबित होंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर विशेष रूप से बल देती है।

स्कूल परिसर कोई नई व्यवस्था नहीं है, इसकी संकल्पना सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने सभी स्कूलों में समान शैक्षिक संसाधन तथा अनुभव प्रदान करने हेतु एक नवाचारी अभ्यास के रूप में किया था किंतु इसे लागू नहीं किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्कूल परिसर/क्लस्टर की व्यवस्था को लागू किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) 1992 ने इसके क्रियान्वयन में आई चुनौतियों को उजागर करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई सिफारिशें दीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सिफ़ारिशों का समर्थन करती है तथा इस क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण शोध के परिणामों के आधार पर कई रचनात्मक प्रावधान प्रस्तुत करती है। शिक्षा के एक हित धारक के रूप में हम सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि ये प्रावधान किस स्तर तक व्यावहारिक हैं तथा इसके क्रियान्वयन में क्या संभावी चुनौतियां हैं?

2025 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा स्कूलों का समूह बनाना तथा समूह की संख्या तय करने के लिए नवीन प्रक्रिया को अपनाना

यद्यपि कई राज्यों ने स्कूल परिसर की योजना के साथ प्रयोग किया है लेकिन यह व्यवस्था अभी तक व्यापक रूप से स्थापित नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताती है कि छोटे पैमाने पर संस्थानों का समेकन व्यावहारिक है जिसमें एक माध्यमिक स्कूल होगा, इसके 5-10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल तथा व्यावसायिक केंद्र सम्मिलित होंगें। देश भर में यह कार्य 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये संस्थान मानव एवं भौतिक संसाधनों तथा शिक्षण-कार्य आदि का आदान-प्रदान करके एक-दूसरे को सुदृढ़ करेंगें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी स्कूल परिसर का निर्माण किया जाए तो परिसर के भौगोलिक फैलाव पर विचार किया जाए तथा यह देखा जाए कि क्या परिसर के अंतर्गत सम्मिलित सभी संस्थान एक-दूसरे तक आसानी से अपनी पहुँच बना सकते हैं। साथ ही शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के अंतर्गत स्कूलों के समेकन को स्थानीय क्षेत्र नियोजन की इकाई के रूप में अपनाया जाए।

वृहद स्तर पर शैक्षिक परिसर का निर्माण

पायलट स्तर पर वृहद शैक्षिक परिसर के

निर्माण पर प्रयोग की सिफ़ारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) 1992 के द्वारा की गई थी जिसमें जिला स्तर पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के जाल का निर्माण किया जा सकता है। शैक्षिक परिसर में नेटवर्किंग बुनियादी स्तर से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक की जा सकती है। शैक्षिक परिसर का विकास करते समय डी.आई.ई.टी., शिक्षा महाविद्यालय, आई.टी.आई., सामुदायिक पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों को भी शैक्षिक परिसर का सहभागी बनाया जा सकता है।

एक ओर स्थानीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को स्कूल परिसर से जोड़ा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकाय जैसे पंचायती राज समिति, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक कल्याण केंद्र, सामुदायिक व्यावसायिक केंद्र इत्यादि को स्कूल परिसर का हितधारक बनाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में कोई सार्थक हस्तक्षेप नहीं करती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

शैक्षिक परिसर में उच्च शिक्षा संस्थान की सहभागिता

उच्च शिक्षा संस्थान शैक्षिक परिसर के प्रभावी संचालन में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, यह परिकल्पना आचार्य राममूर्ति समिति 1990 द्वारा की गई थी किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति रिपोर्ट 1992 द्वारा उच्च शिक्षा की समकालीन स्थिति को देखते हुए यह चिंता जताई गई कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक परिसरों में अग्रणी भूमिका निभाने की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है किंतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान 2013 के आने के पश्चात् उच्च शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार आया है, उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ी है। अतः उच्च शिक्षा संस्थानों को शैक्षिक परिसर में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी, शैक्षिक कॉम्प्लेक्स की गुणवत्ता के संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। चाहें तो प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्थानीय/जिला स्तर पर कम-से-कम एक शैक्षिक कॉम्प्लेक्स को गोद ले सकते हैं तथा इसके संवर्धन के लिए यथासंभव प्रयास कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्कूल परिसर तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन किया जा सकता है।

जीवंत अधिगम केंद्रित समुदाय विकसित करना

छोटे स्कूलों के मध्य अलगाव को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल परिसर/क्लस्टर के माध्यम से इन्हें छोटे-छोटे सहकारी समूह/क्लस्टर के रूप में विकसित करने पर बल देती है ताकि वे सहयोगात्मक रूप से आपस में संसाधनों तथा शिक्षण अनुभवों को साझा करते हुए एक-दूसरे को समृद्ध करें। इससे विभिन्न स्कूलों के शिक्षक तथा विद्यार्थी स्वयं को जीवंत अधिगम केंद्रित समुदाय के रूप में विकसित करेंगें क्योंकि शिक्षक तथा विद्यार्थी समुदाय में अधिक उत्साह और सक्षमता के साथ कार्य करते हैं और विभिन्न घटक स्कूलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा सकते हैं। विशेषज्ञ शिक्षक अन्य स्कूलों का दौरा कर सकते हैं, स्कूल के अन्य शिक्षकों के साथ उनके प्रयोगों को साझा कर सकते हैं और नए प्रयोग भी शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोगधर्मी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सकेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल परिसर से जोड़ना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आंगनबाड़ी संस्थाओं को स्कूल परिसर से जोड़ने की बात की वकालत करती है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की नई संरचना में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल (प्री-स्कूल के 3 वर्ष, 3-6 वर्ष तक) को समेकित किया गया है। इससे शिक्षा के बुनियादी स्तर को सशक्त बनाने में सहायता प्राप्त होगी। हालांकि डी.एस.ई. किस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल परिसर की जिम्मेदारियों के अंतर्गत सम्मिलित करेगी, इसकी विस्तृत एवं व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

निजी तथा सार्वजनिक स्कूलों के मध्य तालमेल स्थापित करने का प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक सराहनीय पहल के रूप में यह प्रावधान निजी एवं सरकारी स्कूल के मध्य व्याप्त खाई को पाटने का कार्य करती है। दोनों के तालमेल से उत्पन्न नवाचारी अभ्यासों का दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा तथा इससे सार्वजनिक स्कूलों की कार्य-प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा। किंतु निजी स्कूल इस कार्य के लिए कितने लचीले होंगें, निजी तथा सार्वजनिक स्कूलों के मध्य मध्यस्थता किस प्रकार स्थापित की जाएगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस दिशा में डी.एस.ई. द्वारा व्यापक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

अर्द्ध-स्वायत्त संस्थान के रूप में स्कूल कॉम्प्लेक्स का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राज्य शिक्षा विभाग को कार्यात्मक स्तर पर अपने अधिकार को प्रशासित करने के लिए सक्षम बनाती है। यह स्कूल परिसर कार्यक्रम संबंधी सिफारिशों को राज्य-वार लागू करने पर जोर देता है। स्कूल परिसरों के संचालन के लिए कोई एकल मॉडल नहीं हो सकता है। प्रत्येक राज्य को अपने अनुभवों के आधार पर या अन्य राज्यों के अनुभवों के आधार पर स्वयं के लिए परिचालन मॉडल को विकसित करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) 1992 में यह बात की गई थी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स के क्रियाकलापों का निरीक्षण जिला/ब्लॉक स्तरीय निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सामान्य निरीक्षण का ही एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस बात का समर्थन करती है। एस.एम.सी. तथा एस.सी.एम.सी. के साथ जिला शिक्षा अधिकारी तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़े होंगे, जो एस.सी.डी.पी. को स्वीकृति देंगे तथा स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर को अर्द्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में मानकर उनके साथ कार्य करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) 1992 इस बात का जिक्र करती है कि स्कूल परिसर छोटे-छोटे स्कूलों को एक साथ लाने की एक सीमित अवधारणा है। यह स्पष्ट रूप से एक स्वायत्त ढांचे के अंतर्गत परिकल्पित नहीं है। वर्तमान शिक्षा नीति स्कूल परिसर को अर्द्ध-स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित करती है। यह बताती है कि डी.एस.ई. स्कूल कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारियों को तय करेगा तथा उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए व्यापक स्वायत्तता प्रदान करेगा। एस.सी.डी.पी. कॉम्प्लेक्स के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक द्वारा तैयार की जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रदत्त जिम्मेदारियों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है, इसका निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल परिसर के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग का पक्ष रखती है। इस प्रकार स्कूल परिसर घटक स्कूलों को समावेशी स्कूल प्रतिमान के तर्ज पर विकसित करने हेतु एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकता है।

वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से स्कूल परिसर के घटक स्कूलों के मध्य शिक्षण कार्य का साझाकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से संगीत, कला, खेल-कूद, शिल्प जैसे विषयों से संबंधित गतिविधियों के अधिकाधिक समावेश को सुनिश्चित कर विद्यालयी पाठ्यचर्या को समृद्ध तथा विद्यालयी शिक्षा को आनंदमयी बनाने पर बल देती है। विशेषज्ञ शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों को अन्य स्कूलों के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं। किंतु इसके लिए सभी घटक स्कूलों में कम्प्युटर, इंटरनेट एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता तथा ऑनलाइन शिक्षण विषय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल परिसर के विभिन्न घटक स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा विविध विषयों पर आधारित विद्यार्थी क्लब के संगठन का नेतृत्व करती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी समुदाय के स्तर पर परियोजना कार्य, प्रदर्शनी, जागरूकता कार्यक्रम एवं समाज कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं तथा स्वयं को जिम्मेदार नागरिक एवं समग्र व्यक्तित्त्व

के रूप में विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार यह वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करती प्रतीत होती है।

समुदाय के साथ निकटता

वर्तमान शिक्षा नीति समुदाय के साथ स्कूल परिसर की निकटता की पक्षधर है। स्कूल परिसर समुदाय के लिए सम्मान तथा उत्सव का स्थान होना चाहिए। यह इस बात का समर्थन करती है कि शिक्षा सीधे उन लोगों के हाथ में हो जिनके लिए यह दिन-प्रतिदिन की चिंता का विषय है। यह जिला स्तर पर बाल भवन के निर्माण तथा जहाँ संभव हो, ऐसे बाल भवन स्कूल परिसर का हिस्सा बन सके, इस बात पर बल देती है तथा स्कूल परिसर के घटक स्कूल समुदाय के सदस्यों के लिए सामाजिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित हो, इस बात की भी वकालत करती है।

अब तक की गई चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलों को छोटे सहकारी समूहों के रूप में कार्य करने में सहायता प्रदान करेगा। यह स्कूल परिसर के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए मानव और भौतिक दोनों संसाधनों को जुटाएगा तथा देश के शैक्षिक कार्यक्रमों और विकास को गति प्रदान करेगा। यह शिक्षकों को सेवा प्रदान करने और कम योग्य शिक्षकों के उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु स्कूल परिसर को सक्षम बनाएगा। यह स्कूल परिसर के स्कूलों और शिक्षकों के समूह को अपने स्वयं के कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करेगा। इस प्रकार स्कूल परिसर के विकास के द्वारा देश भर के स्कूल, विशेष रूप से सार्वजनिक स्कूल, एक संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफल होंगे किंतु यह तभी संभव है जब स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर से जुड़े सभी संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो तथा विभिन्न प्रावधानों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए व्यापक एवं व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करें।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन : नीति निर्णय एवं शैक्षिक अभ्यास की संगतता

डॉ. सुहासिनी बाजपेयी

21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय शैक्षिक तंत्र को संचालित करने हेतु नई शिक्षा नीति का प्रारंभ किया गया है। यह शिक्षा नीति वैश्विक पटल पर भारतीय ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी व संस्कार से युक्त छात्रों को तैयार करने एवं नियोजित करने का उद्देश्य समाहित करती है। यह समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देने की सतत विकास की अवधारणा को संकल्पित करते हुए वर्तमान स्वरूप में हम सभी के समक्ष है। इस शिक्षा नीति में शैक्षिक तंत्र के प्रत्येक स्तर जैसे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि पक्षों का व्यापक समावेश किया गया है। इस प्रकार, इस नई शिक्षा नीति का जो लगभग 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के स्थान पर क्रियान्वयन हेतु सभी के समक्ष उपस्थित है, प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक छात्र में निहित योग्यताओं का उत्कृष्ट प्रकटीकरण करना है जिससे भारतीय समाज की ज्ञान परंपरा एवं योग्यताओं को वैश्विक पटल पर रखा जा सके। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न खण्डों पर विचार करते हैं तो इसमें शिक्षा के समस्त पक्षों के विषय में चिंतन किया गया है। शिक्षा नीति के विभिन्न भागों के अंतर्गत सर्वप्रथम स्कूली शिक्षा के संबंध में दिशा निर्देश भाग-1 में दिए गए हैं जिसके स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। नीति निर्माताओं का ध्यान इस ओर केंद्रित रहा है कि यदि वर्तमान युग में एक बच्चे का विकास 3 से 6 वर्ष की आयु में विशेष रूप से हो रहा है तो उसके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण किया जाना चाहिए। वर्तमान तकनीकी युग में मानव उद्विकास के क्रम में 'होमो सैपिएंस' से 'होमो डिजिटस' के गुणों को आत्मसात कर रहा है एवं जैविक विकास क्रम में निश्चित ही तीव्रता आई है जिससे हमारी पूर्व की विकास अवस्थाओं की संकल्पना में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में 3 से 6 वर्ष की आयु पर शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्व की 10+2 शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर नई शिक्षा नीति के 5+3+3+4 की चौदह वर्षीय स्कूली शिक्षा की संकल्पना करना एक सराहनीय प्रयास है। स्कूली शिक्षा के प्रत्येक पक्ष जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की शैक्षिक नींव निर्माण, बुनियादी साक्षरता, ड्रॉपआउट को कम करना, सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, स्कूल पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम एवं आकलन पद्धतियों में सुधार करना, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, समतामूलक व समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा प्रभावी विद्यालय प्रबंधन जैसे विषयों का समावेश नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है।

जब हम किसी नई योजना को प्रस्तुत करते हैं तो उसके क्रियान्वयन हेतु उचित कार्य प्रणाली का विकास करना उस योजना की सफलता का पहला चरण होता है। पूर्व की शिक्षा नीति में केवल 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई थी किंतु अब यह नीति 15 वर्षों की स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार इस नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में यदि हम स्कूली शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं तो बालक के प्रथम 3 वर्षों में दी जाने वाली शिक्षा का प्रबंध करना इस नीति का एक प्रमुख आयाम है जो स्कूली शिक्षा के पूर्व के स्वरुप से भिन्न है। इस प्रकार 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था हेतु नए मानक निर्माण एवं प्रत्यायन तंत्र की संकल्पना करना अति आवश्यक है जिससे नीतिगत निर्णयों एवं उनके क्रियान्वयन या अभ्यास के मध्य दूरी को निम्नतम किया जा सके। हमारे पूर्व के अनुभवों में भी नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन स्तर में भिन्नता पाई गई है जो शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी संचालन में बाधक होती है एवं हम उद्देश्यों की प्राप्ति वास्तविक स्तर तक करने में असफल हो जाते हैं।

अतः इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद आज आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले शैक्षिक सत्र से इसके क्रियान्वयन की योजना है तो उसके पूर्व ही संगठित रूप से प्रभावी मानकों का

निर्माण कर लिया जाए जिससे 15 वर्षों के स्कूली शिक्षा तंत्र के प्रत्यायन का समुचित प्रबंध हो सके। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में अकादमिक कार्यों एवं नियामक कार्यों हेतु अलग संस्थाओं को दायित्व देने की परिकल्पना की गई है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एक स्वतंत्र संस्था 'स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी (एस.एस.एस.ए.)' का गठन करेंगे जो नियामक संस्था के रूप में कार्य करेगा। नियामक संस्था द्वारा नियमों की पारदर्शिता, सार्वजनिक सहभागिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य प्रस्तावित है। अकादमिक कार्यों संबंधी दायित्व 'स्कूल शिक्षा निदेशालय' के पास होगा जो जिले एवं ब्लाक स्तर पर कार्यरत अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर अकादमिक संरचना को संवर्धित करने का कार्य करेंगे। मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन कार्य का मूल दायित्व एस.सी.ई.आर.टी. का होगा जो एन.सी.ई.आर.टी. के साथ मिल कर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, आकलन पद्धतियों, शैक्षिक गुणवत्ता आदि के विषय में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय करेगी। एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श के आधार पर एक "स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना (एस.क्यू.ए.ए.एफ.)" का विकास किया जाएगा जिसके आधार पर सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रत्यायन सुनिश्चित होगा।

जब हम मानकों की स्थिति को देखते हैं तो छात्रों की अभिसारी चिंतन क्षमता एवं शैक्षिक उपलब्धि के रूप में यह परिलक्षित होते हैं। क्योंकि नई नीति में परीक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया है जो पूर्व के प्रचलित 10 व 12 के अतिरिक्त 3, 5 एवं 8 स्तरों पर भी संचालित की जानी है तथा परीक्षा के स्वरुप व आवृत्ति में भी परिवर्तन किया गया है। इस कार्य के लिए एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र "परख" (समग्र विकास के लिए कार्य-प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण)' को एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जो मानकों के अनुपालन की जाँच समय-समय पर 'नेशनल अचीवमेंट सर्वे' द्वारा करेगा। प्रत्येक राज्य नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आधार पर 'स्टेट अचीवमेंट सर्वे' का नियोजन करेंगे। इस प्रकार यदि हमने 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की नई संकल्पना की है तो निश्चित रूप से उसकी संरचना, उसका प्रबंधन, उसके पाठ्यक्रम, क्रियान्वयन, शिक्षकों की योग्यता, आकलन पद्धति आदि के विषय में व्यापक मानक निर्धारण करना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि निर्धारकों के साथ ही हम इस नई व्यवस्था को प्रभावशाली रूप में संचालित कर सकते हैं। इसके साथ ही उचित विद्यालय प्रबंधन, लड़कियों के सुरक्षा मानक, भेदभाव एवं उत्पीड़न की रोकथाम, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम आदि से संबंधित मानकों का निर्धारण करना हमारी प्राथमिकता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन में जिन संस्थानों की स्थापना की जानी है अथवा समितियों का गठन प्रस्तावित है, उसके संगठन में स्कूली शिक्षा से संबंध रखने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है जिससे मानकों का वास्तविक स्वरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था में समाहित हो सके।

सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

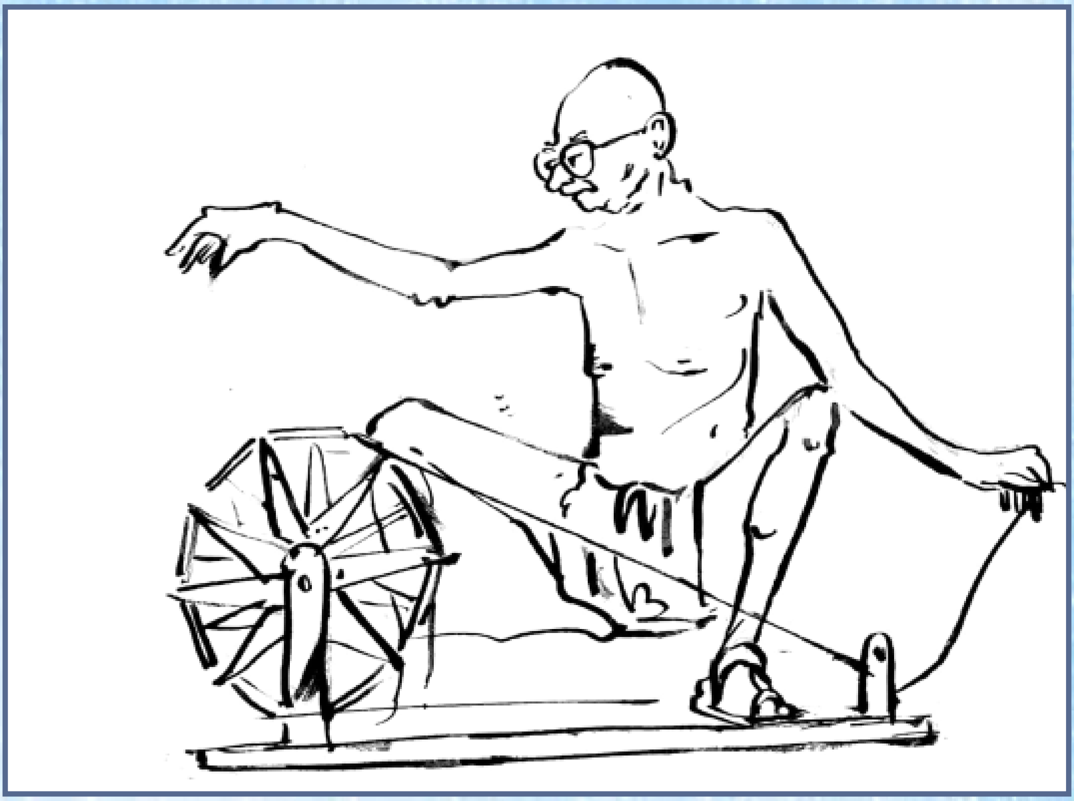

लेखक परिचय

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल
कुलपति, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
तुलनात्मक दर्शन एवं धर्म के आचार्य
विगत तीन दशकों से तुलनात्मक दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में शिक्षण व शोध में संलग्न

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल
प्रतिकुलपति, अधिष्ठाता, भाषा तथा अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
हिंदी के आचार्य। विगत 25 वर्षों से तुलनात्मक साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र, भाषाविज्ञान आदि के शिक्षण-शोध में संलग्न

प्रो. चंद्रकांत एस. रागीट
प्रतिकुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
विगत तीन दशकों से अभियांत्रिकी शिक्षण एवं अनुसंधान तथा समाजकार्य में संलग्न

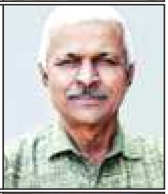

प्रो. मनोज कुमार
अधिष्ठाता : विधि, शिक्षा एवं प्रबंधन विद्यापीठ, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
निदेशक : महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र
विगत 25 वर्षों से रचनात्मक कार्यक्रमों एवं गांधी अध्ययन व समाज कार्य के अध्यापन से जुड़ाव

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 27 वर्षों से हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, तुलनात्मक साहित्य आदि के शिक्षण-शोध में संलग्न

प्रो. अखिलेश कुमार दुबे
अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
हिंदी के आचार्य। विगत 21 वर्षों से मध्यकालीन हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता, आत्मकथा आदि के शिक्षण और शोध में संलग्न

डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 26 वर्षों से शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, दर्शन एवं गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षण और शोध में संलग्न

डॉ. शिरीष पाल सिंह
सह प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 15 वर्षों से शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में शोध तथा शैक्षिक आकलन के शिक्षण-शोध में संलग्न

डॉ. मनोज कुमार राय
अध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत दो दशकों से गांधी अध्ययन तथा भारतीय साहित्य के शिक्षण एवं शोध में संलग्न

डॉ. भरत कुमार पंडा,
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 12 वर्षों से भाषा शिक्षण, मनोविज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में शिक्षण एवं शोध कार्य में संलग्न।

डॉ. ऋषभ कुमार मिश्र
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
शिक्षा मनोविज्ञान और अध्यापक शिक्षा के अध्येता। शिक्षा और संस्कृति विषय से जुड़े समकालीन विषयों पर विविध पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित

श्रीमती सारिका राय शर्मा
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्श, विज्ञान शिक्षणशास्त्र के शिक्षण-शोध में संलग्न

श्री समरजीत यादव
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
शिक्षा से जुड़े समसामयिक विषयों पर लेखन और शोधरत

डॉ. आर. पुष्पा नामदेव
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत आठ वर्षों से शैक्षिक मनोविज्ञान, जीव विज्ञान शिक्षणशास्त्र, शैक्षिक शोध, पाठ्यचर्या अध्ययन आदि क्षेत्रों में शिक्षण एवं शोध कार्य में संलग्न।

श्री धर्मेन्द्र ना. शंभरकर
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 10 वर्षों से शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र में शिक्षण एवं शोध में संलग्न

डॉ. शिल्पी कुमारी
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 7 वर्षों से विज्ञान शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के शिक्षण-शोध में संलग्न

डॉ . सुहासिनी बाजपेयी
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा
विगत 10 वर्षों से शैक्षिक मूल्यांकन एवं आकलन, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विज्ञान शिक्षण आदि के शिक्षण-शोध में संलग्न

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : 07152-230902 फैक्स : 07152.230903

ई-मेल : registrar.mgahv@gmail.com वेबसाइट : hindivishwa.org

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय
हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

ISBN : 978-93-90381-01-2

9 789390 381012

www.hindivishwa.org